एलआईसी की आधार शिला (लाभ सहित)
LIC'S AADHAAR SHILA (with profits)

(असंबद्ध, लाभ सहित बंदोबस्ती बीमा प्लान)
(A non-linked, with-profit endowment assurance plan)

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित)
(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Plan No.844 | UIN- 512N309V01

भाग – अ (जारी) / PART – A (Contd...)

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे यहां बाद में ''निगम'' कहा गया है) यहां नीचे संदर्भित अनुसूची में उल्लिखित प्रस्तावक तथा बीमित व्यक्ति से प्रस्ताव तथा घोषणापत्र और प्रथम प्रीमियम की प्राप्ति हुई है और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा पत्र पर, उसमें निहित तथा उल्लिखित वक्तव्यों सहित, उक्त प्रस्तावक और निगम के बीच इस बीमे के आधार के रूप में सहमति हो गयी है। अत: निगम इस पॉलिसी द्वारा करार करता है कि अनुसूची में निर्धारित परवर्ती प्रीमियमों की विधिवत प्राप्ति होने पर उसके प्रतिफल स्वरूप बीमा राशि का भुगतान बिना किसी ब्याज के, निगम और निगम के शाखा कार्यालय में, जहां इस पॉलिसी के लिए सेवा उपलब्ध कराई जाती है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन्हें वह उक्त अनुसूची की शर्तों के अनुसार देय हो, निगम को इस बात का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर करेगा कि अनुसूची के शर्तों के अनुसार हितलाभ देय हो गए हैं और उसका दावा करने वाला/वाले उक्त व्यक्ति उसके हकदार है और प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की आयु सही है यदि पहले से स्वीकृत न हो।

और एतद्द्वारा यह भी घोषित किया जाता हैं कि यह पॉलिसी इसके पृष्ठ पर अंकित परिभाषाओं, हितलाभों, सेवा प्रदान करने से संबंधित शर्तों, अन्य नियमों और शर्तों तथा वैधानिक प्रावधानों और निम्नलिखित अनुसूची तथा निगम द्वारा लगाए गए प्रत्येक पृष्ठांकन जिसे पॉलिसी का अंग माना जाएगा, के विषयाधीन होगी।

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with Declaration and the first premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the Schedule, to pay the Benefits, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in this Policy Document, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.

And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions Related To Servicing Aspects, Other Terms And Conditions and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

मण्डल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE:	**तालिका / SCHEDULE**	**शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE:**
पॉलिसी सं.: Policy No.:	दुर्घटना हितलाभ राईडर बीमा राशि (₹): Accident Benefit Rider Sum Assured (₹):	प्रीमियम की देय तिथि: Due date of premium:
पॉलिसी आरम्भ की तिथि: Date of Commencement of Policy:	मूल पॉलिसी के लिए प्रीमियम की किस्त (₹): Instalment premium for Base Policy (₹):	प्रीमियम के भुगतान की विधि: Mode of payment of premium:
जोखिम आरम्भ की तिथि: Date of Commencement of Risk:	एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर प्रीमियम की किस्त (₹): LIC's Accident Benefit Rider Instalment premium (₹):	अंतिम प्रीमियम के भुगतान की नियत तिथि: Due Date of Payment of Last premium :
प्लान तथा पॉलिसी की अवधि: Plan & Policy Term:	कुल प्रीमियम की किस्त (₹): Total Instalment Premium (₹):	बीमित व्यक्ति की जन्म तिथि: Date of birth of the Life Assured:
परिपक्वता तिथि: Date of Maturity:	(सेवा कर तथा/या समय-समय पर लागू अन्य कर अतिरिक्त लिए जाएंगे (Service tax and / or any other Tax as applicable from time to time is charged extra.)	बीमित व्यक्ति की उम्र: Age of the Life Assured:
मूल बीमा राशि (₹): Basic Sum Assured (₹):		क्या उम्र स्वीकृत है? Whether age Admitted?

नोट: भाग स (हितलाभ) की शर्त सं.4 के तहत उल्लेखित एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर की शर्तें सिर्फ़ तभी लागू होगी जब ऊपर उल्लेखित राइडर का चुनाव किया गया हो।
Note: Conditions of the LIC's Accident Benefit Rider mentioned under condition No.4 of Part C (Benefits) shall only apply if this rider has been opted for.

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित व्यक्ति का नाम /
Name of Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938:
यदि नामित अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति का नाम: /
If nominee is a minor, name of the Appointee:

प्रस्ताव सं.: / Proposal No.:	प्रस्ताव की तिथि: / Date of Proposal:	पॉलिसी जारी करने की तिथि: / Date of issuance of policy:	हितलाभ उदाहरण संदर्भ सं.: / Benefit Illustration Reference No.:

प्रस्तावक का नाम और पता: / Name and address of Proposer:	बीमित व्यक्ति का नाम और पता: / Name and address of Life Assured:

लाभार्थी जिसे हितलाभ देय हैं Beneficiary to whom Benefits payable	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अंतर्गत प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या उसके समनुदेशित अथवा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित व्यक्ति अथवा प्रमाणित निष्पादक या प्रशासक या अन्य वैधानिक प्रतिनिधि व्यक्ति जिन्होंने उसकी सम्पदा या इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि मात्र के लिए भारत संघ के किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी न्यायालय, जो भी लागू हो, से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया होगा। The proposer or the Life Assured or his Assignee under section 38 of the Insurance Act 1938 or Nominees under Section 39 of the Insurance Act 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/ her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India, as applicable.
प्रीमियम देयता की अवधि Period during which premiums payable	अंतिम प्रीमियम के भुगतान की विनिर्दिष्ट देय तिथि तक या बीमित व्यक्ति की उससे पूर्व मृत्यु होने तक। Till the stipulated due date of payment of last premium or earlier death of the Life Assured.
प्रीमियम देयता की तिथियां Dates when premium payable	विनिर्दिष्ट देय तिथि .... को On the stipulated due date in ……………......

निगम के लिए उक्त उल्लिखित शाखा कार्यालय पर हस्ताक्षरित, जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है तथा जिस पर पॉलिसी से संबंधित सभी पत्राचार भेजे जाने चाहिए।
Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed.

दिनांक / Date:

जांचकर्ता / Examined by:

फॉर्म नं. / Form No.:

कृते मुख्य/वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक
p. Chief / Sr./ Branch Manager

एजेन्सी कोड Agency Code	एजेन्सी का नाम Agency Name	एजेन्ट का मोबाइल नंबर/लैंडलाइन नंबर Agent's Mobile Number/Landline Number

भाग–ब: परिभाषाएं

पॉलिसी दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों/शब्दावली की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं:

1. **उम्र** का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होते समय बीमित व्यक्ति के नज़दीकी जन्मदिन पर उम्र से है सिवाय 8 वर्ष की उम्र के लिए, जहां उम्र पूर्ण वर्षों में है।
2. **नियुक्त-व्यक्ति (एपॉइन्टी)** वह व्यक्ति है जिसे पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित आय/हितलाभ, दावे के भुगतान की तिथि को, नामित के नाबालिग होने तथा उसे दावे की राशि देय होने पर देय होते है।
3. **वार्षिकीकृत प्रीमियम** एक पॉलिसी वर्ष में कुल देय प्रीमियम राशि है जो कि बीमालेखन संबंधी निर्णयों के कारण वार्षिक माध्यम से भिन्न हेतु भुगतान के माध्यम के लिए तथा राइडर प्रीमियमों, अगर कोई हो, के कारण ली जानेवाली किसी अतिरिक्त राशि को छोड़कर है।
4. **समानुदेशिती** वह व्यक्ति है जिसे समनुदेशन के फलस्वरूप पॉलिसी के अधिकार तथा हितलाभ हस्तांतरित किए जाते हैं।
5. **समनुदेशन** समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अंतर्गत "समानुदेशिती" के पक्ष में पॉलिसी के अधिकारों तथा हितलाभों के हस्तांतरित होने की प्रक्रिया है।
6. **स्वत: संरक्षण अवधि** सिर्फ़ किसी चुकता पॉलिसी के अंतर्गत यह प्रथम अदत्त प्रीमियम की देय तिथि से वह अवधि है, जिसके दौरान हितलाभ इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग द की शर्त 2 में विनिर्धारित अनुसार देय है।
7. **मूल पॉलिसी** पॉलिसी का वह भाग है जिसमें मूल हितलाभ का उल्लेख किया गया हो (इस पॉलिसी दस्तावेज में राइडर के अंतर्गत संरक्षित हितलाभों यदि चुना गया हो, को छोड़कर, अन्य हितलाभ)
8. **लाभार्थी** का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो इस पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को प्राप्त करने का हकदार है। लाभार्थी, प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति या उसका समानुदेशिती या नामित व्यक्ति या प्रमाणित निष्पादक या प्रशासक या अन्य वैधानिक प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, हो सकता है।
9. **निगम** का अर्थ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम से है।
10. **पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि** का अर्थ इस पॉलिसी के प्रारम्भ होने की तिथि है।
11. **जोखिम के आरंभ होने की तिथि** वह तिथि है जब निगम बीमा हेतु पॉलिसी की तालिका में प्रमाणित किए गए अनुसार बीमा (सुरक्षा) हेतु जोखिम को स्वीकार कर लेता है।
12. **पॉलिसी के जारी होने की तिथि** वह तिथि है जब बीमालेखन के बाद प्रस्ताव को पॉलिसी के रूप में स्वीकार किया जाता है और यह संविदा प्रभावी हो जाती है।
13. **परिपक्वता की तिथि** से तात्पर्य अनुसूची में विनिर्धारित वह तिथि है, जब परिपक्वता हितलाभ पॉलिसीधारक को देय हो जाते हैं।
14. **निहित होने की तिथि** (केवल तभी लागू अगर पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि को बीमित व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम हो) वह तिथि है, जिस पर जीवन बीमित इस पॉलिसी प्रलेख के भाग स की शर्त 3 में व्यक्त अनुसार पॉलिसी लाभों का/हकदार बन जाता/जाती है।
15. **मृत्यु हितलाभ** का अर्थ संविदा के आरंभ के समय सहमत हितलाभ से है, जो कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में देय है।
16. **डिस्चार्ज फॉर्म** पॉलिसीधारक/दावेदार द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता/अभ्यर्पण/मृत्यु पर प्राप्त होने वाले हितलाभ का दावा करने के लिए भरा जाने वाला फॉर्म है।
17. **देय तिथि** का अर्थ वह निर्धारित तिथि है जब पॉलिसी प्रीमियम देय है तथा पॉलिसीधारक द्वारा भुगतान योग्य हो।
18. **पृष्ठांकन** से अर्थ निगम द्वारा किन्हीं सहमत या जारी संशोधनों या आशोधनों को इस पॉलिसी में शामिल करने के लिए संलग्न/जोड़ी गई शर्तों से है।
19. **पूर्व समाप्ति** एक क्रिया है, जिसे बकाया ऋण या ऋण पर ब्याज को देय तिथि पर न जमा किये जाने पर पॉलिसी को पूर्व समाप्त कर दिया जाता है।
20. **फ्री लुक अवधि** पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति से 15 दिनों की अवधि, इस पॉलिसी के नियमों तथा शर्तों की समीक्षा करने के लिए है, और अगर पॉलिसीधारक उन नियमों तथा शर्तों में से किसी से असहमत हो, तो उसके पास इस पॉलिसी को लौटाने का विकल्प है जैसा कि भाग द की शर्त 6 में वर्णित है।
21. **रियायती अवधि** यह प्रीमियम की देय तिथि से बीमाकर्ता द्वारा दिया गया भुगतान हेतु वह समय है जिसके दौरान बिना किसी जुर्माने/विलम्ब शुल्क के प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है तथा पॉलिसी शर्तों के अनुसार जोखिम संरक्षण बिना किसी व्यवधान के प्रभावी रहेगा।
22. **गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य** पॉलिसी के अभ्यर्पण किए जाने पर पॉलिसीधारक को अदा किए जाने वाले अभ्यर्पण मूल्य की न्यूनतम गारंटीड राशि है।
23. **इन-फोर्स पॉलिसी** का अर्थ यह है कि ऐसी पॉलिसी, जिस के अंतर्गत सभी देय प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया है और प्रीमियम बकाया नहीं है।

PART – B: DEFINITIONS

The definitions of terms/words used in the Policy Document are as under:

1. **Age** is the age nearest birthday of the Life Assured at the time of commencement of the policy except for age 8 years for which the age is in completed years.
2. **Appointee** is the person to whom the proceeds/benefits secured under the Policy are payable if the benefit becomes payable to the nominee and nominee is minor as on the date of claim payment.
3. **Annualized Premium** is the total amount of premium payable in a policy year excluding extra amount if charged under the policy due to underwriting decisions, for mode of payment for other than yearly mode and rider premium, if any.
4. **Assignee** is the person to whom the rights and benefits are transferred by virtue of an Assignment.
5. **Assignment** is the process of transferring the rights and benefits to an "Assignee". Assignment should be in accordance with the provisions of Section 38 of Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
6. **Auto Cover Period** under a paid-up policy only is the period from the due date of first unpaid premium during which the benefits are payable as specified in Condition 2 of Part D of this Policy document.
7. **Base Policy** is that part of the Policy referring to basic benefit (benefits referred to in this Policy Document excluding benefits covered under Rider(s), if opted for).
8. **Beneficiary** means the person who is entitled to receive benefits under this Policy. The Beneficiary may be proposer or Life Assured or his Assignee or Nominees or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives as the case may be.
9. **Corporation** means the Life Insurance Corporation of India established under Section 3 of the LIC Act, 1956.
10. **Date of commencement of policy** is the start date of this Policy.
11. **Date of commencement of risk** is the date on which the Corporation accepts the risk for insurance (cover) as evidenced in the schedule of the policy.
12. **Date of issuance of policy** is a date when a proposal after underwriting is accepted as a policy and this contract gets effected.
13. **Date of Maturity** means the date specified in the Schedule on which the Maturity Benefit shall become payable to the policyholder.
14. **Date of vesting** (applicable only if the age of the Life Assured is below 18 years on the date of commencement of policy) is the date from which the Life Assured becomes entitled to the policy benefits as specified in Condition 3 of Part C of this Policy Document.
15. **Death Benefit** means the benefit, agreed at the inception of the contract, which is payable on death of Life Assured.
16. **Discharge form** is the form to be filled by policyholder / claimant to claim the maturity / surrender / death benefit under the policy.
17. **Due Date** means a fixed date on which the policy premium is due and payable by the policyholder.
18. **Endorsement** means conditions attached / affixed to this Policy incorporating any amendments or modifications agreed to or issued by the Corporation.
19. **Foreclosure** is an action of closing the policy due to default in payment of outstanding loan and/or loan interest on due date.
20. **Free Look Period** is the period of 15 days from the date of receipt of the Policy Document by the Policyholder to review the terms and conditions of this policy and where the Policyholder disagrees to any of those terms and conditions, he / she has the option to return this policy as detailed in Condition 6 of Part D.
21. **Grace period** is the time granted by the insurer from the due date for the payment of premium, without any penalty / late fee, during which time the policy is considered to be inforce with the insurance cover without any interruption as per the terms of the policy.
22. **Guaranteed Surrender Value** is the minimum guaranteed amount of Surrender Value payable to the policyholder on surrender of the policy.
23. **Inforce policy** means a policy in which all the due premiums have been paid and the premiums are not outstanding.

24. **आईआरडीएआई** का अर्थ है इंश्योरेन्स रेग्युलेटरी एंड डेव्लपमेन्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहले इसे भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) कहा जाता था।

25. **कालातीत (लैप्स)** पॉलिसी की वह दशा है जब रियायती अवधि के दौरान देय प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है।

26. **बीमित व्यक्ति** वह व्यक्ति है जिसके जीवन पर बीमा संरक्षण स्वीकार किया गया है।

27. **ऋण** निगम द्वारा पॉलिसीधारक को पॉलिसी पर देय अभ्यर्पण मूल्य पर प्रदान की गयी ब्याजयुक्त लौटायी जाने वाली राशि है।

28. **परिपक्वता हितलाभ** का अर्थ वह हितलाभ है जो परिपक्वता पर, अर्थात पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर परिपक्वता की नियत तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर देय है।

29. **महत्त्वपूर्ण जानकारी** वह जानकारी है जो कि पॉलिसी प्राप्त करते समय बीमित व्यक्ति को पहले से ज्ञात थी, जिसका प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव/पॉलिसी के बीमालेखन पर प्रभाव होता है।

30. **अवयस्क या नाबालिग** वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी न की हो।

31. **नामांकन** किसी व्यक्ति को "नामित" करने के लिए प्रस्ताव प्रपत्र में या बाद में पृष्ठांकन द्वारा शामिल करने/बदलने की प्रक्रिया है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानो के अनुसार नामांकन किया जाना चाहिए।

32. **नामित** इस पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसीधारक द्वारा नामांकित वह व्यक्ति होता है, जो इस पॉलिसी के अंतर्गत देय दावा हितलाभ प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत होता/होती है और दावे के निपटान पर निगम को मान्य मुक्ति प्रदान करता/करती है।

33. **सहभागिता** का अर्थ है निगम के अनुभव के आधार पर पॉलिसी मुनाफे को साझा करने हेतु पात्र है।

34. **चुकता** पॉलिसी की वह स्थिति है, जब कम से कम पूरे 3 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान अदा किया गया हो और परवर्ती प्रीमियम का भुगतान रियायती अवधि के दौरान नहीं किया गया हो।

35. **पॉलिसी वर्षगांठ** का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से एक वर्ष बाद की तिथि तथा उसके बाद परिपक्वता तिथि तक हर वर्ष बाद आनेवाली प्रत्येक उस तिथि से है।

36. **पॉलिसी/पॉलिसी दस्तावेज** का अर्थ पृष्ठांकनों, अगर कोई हों, सहित निगम द्वारा जारी वह दस्तावेज है जो कि पॉलिसीधारक तथा निगम के बीच एक वैधानिक अनुबंध होता है।

37. **पॉलिसीधारक** इस पॉलिसी का कानूनी मालिक है।

38. **पॉलिसी अवधि** वर्षों के रूप में, पॉलिसीधारक द्वारा चुने अनुसार एवं अनुसूची में वर्णित अनुसार वह अवधि है, जो अनुसूची में निर्दिष्ट पॉलिसी की प्रारंभ अवधि से शुरू होती है।

39. **पॉलिसी वर्ष** दो लगातार पॉलिसी वर्षगांठों के बीच की अवधि है। इस अवधि में पहला वर्षगांठ का दिन शामिल है तथा अगली पॉलिसी वर्षगांठ का दिन शामिल नहीं है।

40. **प्रीमियम** पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को सुरक्षित करने के लिए इस पॉलिसी दस्तावेज की अनुसूची में उल्लिखित विनिर्धारित समयों पर आवधिक रूप से पॉलिसीधारक द्वारा अदा की जाने वाली संविदागत राशि है। अदा किया जाने वाला प्रीमियम होगा "कुल किस्त प्रीमियम", जिसमें शामिल होगा

    - मूल पॉलिसी के लिए किस्त प्रीमियम तथा
    - राइडर के लिए किस्त प्रीमियम, अगर राइडर को चुना गया हो

    इस पॉलिसी कागजात में कहीं भी इस्तेमाल किए गए "प्रीमियम" शब्द में किसी प्रकार के करों को शामिल नहीं किया गया है, जो अलग से देय हैं।

41. **निरन्तर बीमा योग्यता का प्रमाण** यह पॉलिसीधारक से मांगी जानेवाली जानकारी है ताकि पॉलिसी के पुन:प्रचालन का निर्णय लिया जा सके। इसमें अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा, मेडिकल रिपोर्ट्स, विशेष रिपोर्ट्स आदि शामिल हैं।

42. **प्रस्तावक** वह व्यक्ति है जो जीवन बीमा लेने का प्रस्ताव देता है।

43. **पुर्नचलन** का अर्थ प्रीमियम का भुगतान न किए जानेवाली पॉलिसी को, सभी देय प्रीमियम तथा अन्य प्रभारों/विलम्ब शुल्क, अगर कोई हो, पॉलिसी के नियमों व शर्तों के अनुसार प्राप्त होने तथा पॉलिसीधारक द्वारा मौजूदा बीमालेखन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत जानकारी, कागजातों तथा रिपोर्ट्स के आधार पर बीमाधारक की निरन्तर बीमायोग्यता के बारे में संतुष्ट होने पर बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी को पॉलिसी दस्तावेज में उल्लेख किए गए समस्त हितलाभों को फिर से चालू किए जाने से है।

44. **पुर्नचलन अवधि** इसका अर्थ पॉलिसी के अप्रभावी होने की तिथि से लगातार दो वर्षों की अवधि है, जिस अवधि के दौरान पॉलिसीधारक पॉलिसी को पुनर्चालित करने का पात्र है, जिसे प्रीमियम का भुगतान न किए जाने के कारण अप्रभावी कर दिया गया हो।

45. **राइडर** एक मूल्यवर्द्धित हितलाभ है, जिसे इस पॉलिसी के अंतर्गत विनिर्धारित किए गए अनुसार मूल हितलाभों के साथ जोड़ा गया है।

24. **IRDAI** means Insurance Regulatory and Development Authority of India earlier called as Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).

25. **Lapse** is the status of the Policy when due premium is not paid within the grace period.

26. **Life Assured** is the person on whose life the insurance cover has been accepted.

27. **Loan** is the interest bearing repayable amount granted by the Corporation against the surrender value payable to the policyholder.

28. **Maturity Benefit** means the benefit, which is payable on maturity i.e. at the end of the policy term on life assured surviving the stipulated Date of Maturity.

29. **Material information** is the information already known to the Life Assured at the time of obtaining a policy which has a bearing on underwriting of the proposal / Policy submitted.

30. **Minor** is a person who has not completed 18 years of age.

31. **Nomination** is the process of nominating a person who is named as "Nominee" in the proposal form or subsequently included / changed by an endorsement. Nomination should be in accordance with provisions of Section 39 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.

32. **Nominee** is the person nominated by the Policyholder under this Policy who is authorised to receive the claim benefit payable under this Policy and to give a valid discharge to the Corporation on settlement of the claim.

33. **Participating** means the Policy is eligible for share of profit depending upon the Corporation's experience.

34. **Paid - Up** is the status of the Policy, if the premiums are paid for at least 3 full years and subsequent premiums are not paid within the grace period.

35. **Policy Anniversary** means one year from the date of commencement of the Policy and the same date falling each year thereafter, till the date of maturity.

36. **Policy/Policy Document** means this document along with endorsements, if any, issued by the Corporation which is a legal contract between the Policyholder and the Corporation.

37. **Policyholder** is the legal owner of this policy.

38. **Policy term** is the period, in years, as chosen by the policyholder and mentioned in the Schedule, commencing from the Date of commencement of policy specified in the Schedule,

39. **Policy year** is the period between two consecutive policy anniversaries. This period includes the first day and excludes the next policy anniversary day.

40. **Premium** is the contractual amount payable by the Policyholder at specified times periodically as mentioned in the schedule of this Policy Document to secure the benefits under the policy. The premium payable will be "Total Instalment Premium" which includes

    - Instalment Premium for Base Policy and
    - Instalment Premium for Rider, if rider has been opted for.

    The term 'Premium' used anywhere in this Policy Document does not include any taxes, which are payable separately.

41. **Proof of continued insurability** is the information sought from the policyholder to decide revival of the policy. This includes Form of declaration of Good Health, Medical Reports, Special Reports, etc.

42. **Proposer** is a person who proposes the life insurance proposal.

43. **Revival** of a policy which was discontinued due to the non-payment of premium, means restoration of the policy by the insurer as per underwriting decision, upon the receipt of all the premium due and other charges/late fee, if any, as per the terms and conditions of the policy, upon being satisfied as to the continued insurability of the insured on the basis of the information, documents and reports furnished by the policyholder, in accordance with the then existing underwriting guidelines.

44. **Revival Period** is the period of two consecutive years from the date of discontinuance of the policy, during which period the policyholder is entitled to revive the policy which was discontinued due to the non-payment of premium.

45. **Rider** is an add-on benefit in addition to basic benefits as specified under this Policy Document.

46. **Rider Premium** is the premium payable by the policyholder along with the premium under Base Policy towards the additional cover/benefit opted under the rider, if opted.

46. **राइडर प्रीमियम** पॉलिसीधारक द्वारा मूल पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम के साथ राइडर के अंतर्गत चुने गए अतिरिक्त संरक्षण/हितलाभ के लिए अदा किये जानेवाला प्रीमियम है, अगर चुना गया हो।

47. **राइडर बीमा राशि** वह निश्चित रकम है जो कि राइडर के अंतर्गत संरक्षित विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, अगर उसे चुना गया हो, देय होती है।

48. **अनुसूची** पॉलिसी दस्तावेज का एक अंग है जिसमें आपकी पॉलिसी का विशिष्ट विवरण मौजूद है।

49. **मृत्यु पर बीमा राशि** परिपक्वता की विनिर्धारित तिथि से पूर्व मृत्यु पर देय सुनिश्चित राशि।

50. **परिपक्वता पर बीमा राशि** वह सकल राशि है जो परिपक्वता पर देय है जिसका इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग स की शर्त 2 में उल्लेख किया गया है।

51. **अभ्यर्पण** का अर्थ समग्र पॉलिसी को परिपक्वता से पहले पूर्ण रुप से वापस लेना/समाप्त करना है।

52. **अभ्यर्पण मूल्य** का अर्थ, वह राशि है, अगर कोई हो, जो कि इस पॉलिसी के नियमों तथा शर्तों के अनुसार उसे अभ्यर्पण करने की स्थिति में देय होती है।

53. **तालिका प्रीमियम** यह बीमित व्यक्ति की आयु के आधार पर चुनी गई मूल बीमा राशि के लिए प्रीमियम है, जिस पर कोई छूट या अतिरिक्त आकार नहीं लगाया गया है।

54. **बीमालेखन** शब्द का उपयोग जोखिम आकलन की प्रक्रिया का वर्णन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा जिन जोखिमों का सामना किया जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए यह आनुपातिक लागत है। बीमालेखन के आधार पर संरक्षण की स्वीकृति या अस्वीकृति तथा उपयुक्त प्रीमियम या संशोधित शर्तों को लागू किए जाने, अगर कोई हो, के संबंध में फैसला लिया जाता है।

55. **UIN** का अर्थ इस प्लान को आईआरडीएआई द्वारा आबंटित यूनीक आइडेन्टिफिकेशन नंबर है।

56. **लाभ सहित पॉलिसियां** का तात्पर्य ऐसी पॉलिसियों से है, जो पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार पॉलिसी की अवधि के दौरान निगम को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि (मुनाफे) में भागीदारी की पात्र होती हैं।

भाग – स: हितलाभ

इस पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ देय हैं:

1. **मृत्यु पर देय राशि:**

   अगर पॉलिसी प्रभावी हो तो परिपक्वता की विनिर्धारित तिथि से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु पर देय राशि का निम्न अनुसार भुगतान किया जाएगा:

   पहले पांच वर्षो के दौरान मृत्यु होने पर: **''मृत्यु पर बीमा राशि''**

   पांच पॉलिसी वर्ष पूरे होने लेकिन परिपक्वता की विनिर्धारित तिथि से पहले मृत्यु होने पर: **''मृत्यु पर बीमा राशि''** लॉयल्टी एडिशन के साथ, अगर कोई हो

   जहां **''मृत्यु पर बीमा राशि''** को इनमें से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है।

   - वार्षिकीकृत प्रीमियम का 10 गुना; या
   - नीचे शर्त 2 में परिभाषित परिपक्वता पर बीमा राशि; या
   - मृत्यु पर अदा की जाने वाली कुल राशि अर्थात 110% मूल बीमा राशि

   मृत्यु पर मिलने वाली यह राशि कुल अदा किए गए प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगी, जो कि बीमालेखन संबंधी निर्णयों तथा राइडर(रों) प्रीमियम, अगर कोई हो, के कारण, मृत्यु की तिथि तक अदा किए गए अतिरिक्त राशि को छोड़कर है।

2. **परिपक्वता हितलाभ:** बीमित व्यक्ति के परिपक्वता की निर्धारित अवधि तक जीवित रहने पर, बशर्ते पॉलिसी पूर्णत: प्रभावी हो, **''परिपक्वता पर बीमा राशि''** निहित लॉयल्टी एडीशन, अगर कोई हो, के साथ देय होगी। जहां **''परिपक्वता पर बीमा राशि''** बीमित मूल राशि के बराबर है।

3. **निहित होने की तिथि (केवल तभी लागू, अगर पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि पर बीमित व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम हो):** अगर पॉलिसी पूरी तरह से प्रभावी हो तथा निहित होने की तिथि तक बीमित व्यक्ति जीवित हो और इस निहित होने की तिथि से पहले पॉलिसी की धनराशि हेतु पात्र व्यक्ति से पॉलिसी को अभ्यर्पण करने के लिए लिखित में अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो निहित होने की इस तिथि को अर्थात 18 वर्ष की उम्र पूरी होने से मेल खाने वाली पॉलिसी वर्षगांठ को या उसके तुरन्त बाद पड़ने वाली पॉलिसी वर्षगांठ पर पॉलिसी बीमित व्यक्ति को स्वत: निहित हो जाएगी और इस प्रकार निहित होने को निगम और बीमित व्यक्ति के बीच करार माना जाएगा। बीमित व्यक्ति को पॉलिसी का स्वामी माना जाएगा तथा प्रस्तावक या उसके एस्टेट का उसमें कोई हित या अधिकार नहीं होगा।

4. **राइडर हितलाभ:**

   <u>एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर (UIN: 512B203V02) (अगर चुना गया हो):</u> इस पॉलिसी के प्रयोजन हेतु दुर्घटना को **''बाह्य हिंसक तथा दृश्य माध्यमों से अचानक, अनपेक्षित और अनैच्छिक रूप से होने वाली घटना''** के रूप में परिभाषित किया गया है।

47. **Rider Sum Assured** is the assured amount payable on happening of a specified event covered under the rider, if opted.

48. **Schedule** is the part of policy document that gives the specific details of your policy.

49. **Sum Assured on Death** is the assured amount payable on death before the stipulated Date of Maturity.

50. **Sum Assured on Maturity** is the absolute amount payable on maturity as mentioned in Condition 2 of Part C of this Policy Document.

51. **Surrender** means complete withdrawal / termination of the entire policy before maturity.

52. **Surrender Value** means an amount, if any, that becomes payable in case of surrender in accordance with the terms and conditions of this policy.

53. **Tabular premium** is the premium for the chosen Basic Sum Assured based on the age of the Life Assured without application of any rebate or extra loading.

54. **Underwriting** is the term used to describe the process of assessing risk and ensuring that the cost of the cover is proportionate to the risks faced by the individual concerned. Based on underwriting, a decision on acceptance or rejection of cover as well as applicability of suitable premium or modified terms, if any, is taken.

55. **UIN** means the Unique Identification Number allotted to this plan by the IRDAI.

56. **With Profits** policies mean policies which are entitled for any share in surplus (profits) emerging during the term of the policy in accordance with the terms and conditions of the policy.

<u>PART – C : BENEFITS</u>

The following benefits are payable under this policy:

1. **Death Benefit:**
   Death benefit payable in case of death of the Life Assured before the stipulated Date of Maturity provided the policy is inforce shall be as under:

   <u>On death during first five years:</u> **“Sum Assured on Death”.**

   <u>On death after completion of five policy years but before the stipulated Date of Maturity:</u> **“Sum assured on Death”** along with Loyalty Addition, if any.

   Where **“Sum Assured on Death”** is defined as the highest of

   - 10 times of annualised premium; or
   - Sum Assured on Maturity as defined in Condition 2. below; or
   - Absolute amount assured to be paid on death, i.e. 110% of Basic Sum Assured.

   This death benefit shall not be less than 105% of the total premiums paid excluding extra amount if charged under the policy due to underwriting decision and Rider(s) premium, if any, as on date of death.

2. **Maturity Benefit:** On Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity provided the policy is inforce, **“Sum Assured on Maturity”** along with Loyalty Addition, if any, shall be payable. Where **“Sum Assured on Maturity”** is equal to Basic Sum Assured.

3. **Date of Vesting (Applicable only if the age of the Life Assured is below 18 years on the date of commencement of policy):** If the Life Assured is alive on the vesting date and if a request in writing for surrendering the policy has not been received by Corporation before such vesting date from the person entitled to the policy moneys, this policy shall automatically vest in the Life Assured on such vesting date i.e. on the policy anniversary coinciding with or immediately following the completion of 18 years of age and shall on such vesting be deemed to be a contract between the Corporation and the Life Assured. The Life Assured shall become the absolute owner of the policy and the proposer or his estate shall cease to have any right or interest therein.

4. **Rider Benefits:**
   <u>LIC’s Accident Benefit Rider: (UIN: 512B203V02) (If opted):</u> An ‘Accident’ for the purpose of this policy is defined as **“An Accident is a sudden, unforeseen and involuntary event caused by external, violent and visible means.”**

   LIC’s Accident Benefit Rider is available on payment of additional premium. This rider will not be available under the policy on the life of minors, during minority of the Life Assured. However, Accident Benefit will be available from the policy anniversary following completion of age 18 years on receipt of specific request

एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है। यह राइडर पॉलिसी के अंतर्गत अवयस्कों के जीवन पर बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान उपलब्ध नहीं होगा। हालांकि, यह दुर्घटना हितलाभ 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पॉलिसी की वर्षगांठ से उपलब्ध होगा, अगर इस हेतु विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है, और अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया जाता है तथा इसे निगम के बीमालेखन नियमों के अनुसार दुर्घटना हितलाभ के लिए पात्र पाया जाता है।

उपरोक्त उल्लेख के अधीन, प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत, एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर को मूल पॉलिसी के अंतर्गत कभी भी चुना जा सकता है, बशर्ते मूल पॉलिसी की बकाया अवधि कम से कम 5 वर्ष की हो। जहां कहीं भी पॉलिसी के अंतर्गत इस राइडर को चुना जाया है, इस राइडर के अंतर्गत संरक्षित हितलाभ इस राइडर के इस्तेमाल के बाद पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान तक उपलब्ध होंगे, बशर्ते दुर्घटना की तिथि पर पॉलिसी पूरी बीमा राशि के लिए प्रभावी हो।

अंतर्निहित दुर्घटना हितलाभ सहित समस्त पॉलिसियों के अंतर्गत जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम से उसी व्यक्ति के जीवन पर जिस पर निम्नलिखित हितलाभ लागू हो, व्यक्तिगत पॉलिसियों तथा समूह पॉलिसियों के अंतर्गत कुल दुर्घटना हितलाभ किसी भी घटना के लिए ₹100 लाख की दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि से अधिक नहीं होगा। अगर एक से अधिक पॉलिसियां हों तथा कुल दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि ₹100 लाख से अधिक हो तो पॉलिसियों को जारी करने की तिथि के क्रम से प्रथम ₹100 लाख की दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि लागू होगी।

यदि किसी भी समय बीमित व्यक्ति के साथ तब कोई दुर्घटना होती है, जब यह पॉलिसी पूर्ण बीमा राशि के लिए प्रभावी होती है, और ऐसी चोट इसके लगने के 180 दिनों के भीतर समग्र, प्रत्यक्ष एवं अन्य सभी कारणों से स्वतंत्र रूप से बीमित व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनती है, और वह निगम के लिए संतोषजनक रूप से सिद्ध होती है, तो निगम मूल पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु लाभ के अतिरिक्त दुर्घटना लाभ बीमाकृत राशि के बराबर एक अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए सहमत होता है। यद्यपि पॉलिसी दुर्घटना के समय पर प्रभावी होनी चाहिए, चाहे वह मृत्यु की तिथि पर प्रभावी हो या न हो।

अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु निम्न स्थितियों में हो, तो निगम अतिरिक्त दुर्घटना लाभ की बीमा राशि का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगा:

(i) जानबूझकर खुद को जख्मी करना, आत्महत्या की कोशिश, मानसिक रूप से अस्वस्थता या व्याभिचार या बीमित व्यक्ति नशे या मादक द्रव, ड्रग या नार्कोटिक के प्रभाव में हो; या

(ii) दुर्घटना के परिणामस्वरूप तब हो, जब बीमित व्यक्ति ऐसे किसी एयरक्राफ्ट में किराया भुगतानकर्ता, आंशिक भुगतानकर्ता या गैर–भुगतानकर्ता यात्री के अतिरिक्त किसी भी क्षमता में एविएशन या एयरोनॉटिक्स में संबद्ध हो, जो कि ऐसे यात्रियों का वहन करने एवं स्थापित विमान–तलों के बीच उड़ान भरने हेतु संबंधित विनियामकों द्वारा अधिकृत हो। ऐसी क्षमता में किसी यात्री के रूप में उड़ान भर रहे बीमित व्यक्ति के पास उस समय विमान में चढ़ने या उससे उतरने संबंधी कोई कर्त्तव्य नहीं होना चाहिए; या

(iii) दंगे, जन विद्रोह, बगावत, युद्ध (चाहे घोषित किया गया हो या नहीं), आक्रमण, शिकार, पर्वतारोहण, स्टीपल चेजिंग, किसी प्रकार की रेस, पैराग्लायडिंग या पैराशूटिंग, एडवेन्चर्स स्पोर्ट्स में भाग लेना; या

(iv) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी आपराधिक इरादे के साथ कानून का उल्लंघन करना; या

(v) (अ) बीमित व्यक्ति के किसी युद्धरन (युद्ध घोषित हो या अघोषित) देश के सशस्त्र बल या सैन्य सेवा में रोजगार के कारण उत्पन्न। यह अपवर्जन उस समय लागू नहीं है अगर बीमित व्यक्ति उस समय दुर्घटनाग्रस्त होता है जब वह ड्यूटी पर नहीं था या हमारे देश में किसी प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करते समय किसी बचाव कार्य में शामिल था

(ब) किसी सैनिक, नौसैनिक या किसी पुलिस संगठन में पुलिस ड्यूटी में शामिल होने के कारण। यह अपवर्जन तब लागू नहीं है जब पुलिस ड्यूटी में शामिल होने के समय दुर्घटना के लिए दुर्घटना हितलाभ को संरक्षण के विकल्प को चुना गया हो; या

(vi) बीमित व्यक्ति की दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के बाद घटित होना।

<u>मूल पॉलिसी के अभ्यर्पण पर देय हितलाभ:</u> यह राइडर कोई चुकता मूल्य प्राप्त नहीं करेगा तथा इस राइडर के अंतर्गत कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

5. **लाभों में प्रतिभागिता:**

बशर्ते पॉलिसी ने पाँच पॉलिसी वर्ष पूरे कर लिए हों और कम से कम 5 पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो, तब निगम के अनुभव के आधार पर इस योजना के अधीन, पॉलिसी, पॉलिसी अवधि के दौरान मृत्यु या परिपक्वता के रूप में बाहर निकलने के समय, ऐसी दर पर और ऐसे नियमों पर लॉयल्टी एडीशन के लिए पात्र होगी, जैसा कि निगम द्वारा घोषित किया जा सकता है। चुकता पॉलिसी के अंतर्गत, लॉयल्टी एडीशन पूरे हो चुके पॉलिसी वर्षों के लिए देय होगी, जिसके लिए पॉलिसी प्रभावी थी।

इसके अतिरिक्त, पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी के अभ्यर्पण पर लॉयल्टी एडीशन, यदि कोई है, पर विशेष अभ्यर्पण मूल्य गणना में विचार किया जाएगा, बशर्ते पॉलिसी ने पाँच पॉलिसी वर्ष पूरे कर लिए हों और कम से कम 5 पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

and payment of additional premium, if found eligible for Accident Benefit as per the rules of the Corporation.

Subject to as stated above, under an inforce policy the LIC's Accident Benefit Rider can be opted for at any time within policy term of the Base Policy provided, the outstanding policy term of the Base Policy is atleast five years. Wherever this rider has been opted for under the policy, the benefit covered under this rider will be available during the policy term after exercise of this rider, provided the policy is inforce for the full Sum assured as on date of accident.

The maximum aggregate limit of assurance under all policies including policies with in-built Accident Benefit taken with Life Insurance Corporation of India under individual policies as well as group policies on the same life to which following benefits apply shall not in any event exceed ₹100 lakhs of Accident Benefit Sum Assured. If there be more policies than one and if the total Accident Benefit Sum Assured exceeds ₹100 lakhs, the benefits shall apply to the first ₹100 lakhs of Accident Benefit Sum Assured in order of date of policies issued.

If the Life assured is involved in an accident at any time when this Policy is in force for the full Sum Assured, and such injury shall within 180 days of its occurrence solely, directly and independently of all other causes result in death of the Life assured and the same is proved to the satisfaction of the Corporation, the Corporation in addition to Death Benefit under the Base policy agrees to pay an additional sum equal to the Accident Benefit Sum Assured. However, the policy shall have to be in force at the time of accident irrespective of whether or not it is in force at the time of death.

The Corporation shall not be liable to pay the additional Accident Benefit Sum Assured, if the death of the Life Assured shall:

(i) be caused by intentional self injury, attempted suicide, insanity or immorality or whilst the Life Assured is under the influence or consumption of intoxicating liquor, drug or narcotic; or

(ii) take place as a result of accident while the Life Assured is engaged in aviation or aeronautics in any capacity other than that of a fare paying, part-paying or non-paying passenger in any air-craft which is authorised by the relevant regulations to carry such passengers and flying between established aerodromes. The Life Assured flying as a passenger in such capacity should have at that time no duties on board the aircraft or requiring descent therefrom; or

(iii) be caused by injuries resulting from taking any part in riots, civil commotion, rebellion, war (whether war be declared or not), invasion, hunting, mountaineering, steeple chasing, racing of any kind, paragliding or parachuting, taking part in adventure sports; or

(iv) result from the Life Assured committing any breach of law with criminal intent; or

(v) (a) arise from employment of the Life Assured in the armed forces or military service of any country at war (whether war be declared or not). This exclusion is not applicable if the Life Assured was involved in an accident when he is not on duty or was involved in any rescue operations while combating natural calamities in our country

(b) arise from being engaged in police duty in any military, naval or police organization. This exclusion is not applicable where the option to cover Accident Benefit arising on accident while engaged in police duty, has been chosen; or

(vi) occur after 180 days from the date of accident of the Life Assured.

<u>Benefits payable on surrender of Basic Policy:</u> This rider shall not acquire any Paid-up Value and no surrender value will be available under this rider.

5. **Participation in profits:**

Provided the policy has completed five policy years and atleast 5 full years' premium have been paid, then depending upon the Corporation's experience the policies under this plan shall be eligible for Loyalty Addition at the time of exit in the form of Death during the policy term or Maturity, at such rate and on such terms as may be declared by the Corporation. Under a paid-up policy, Loyalty Addition shall be payable for the completed policy years for which the policy was inforce.

In addition, Loyalty Addition, if any, shall also be considered in Special Surrender Value calculation on surrender of policy during the policy term, provided the policy has completed five policy years and atleast 5 full years' premium have been paid.

6. **प्रीमियम का भुगतान:**

(अ) पॉलिसीधारक को इस पॉलिसी दस्तावेज की अनुसूची में विनिर्धारित देय तिथियों पर प्रीमियम का भुगतान सेवा कर तथा समय–समय पर लागू किसी अन्य कर के साथ करना होगा।

(ब) रियायती अवधि: प्रीमियम भुगतान के वार्षिक, छमाही या तिमाही प्रीमियम के लिए एक कैलेन्डर माह या 30 दिनों तक की और मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिनों की रियायती अवधि दी जाएगी। अगर रियायती के दिनों के समाप्त होने तक प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, पॉलिसी कालातीत हो जाएगी।

अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु रियायती अवधि के दौरान लेकिन तब देय प्रीमियम के भुगतान से पहले हो जाती है तो पॉलिसी मान्य रहेगी तथा उस प्रीमियम और पॉलिसी की अगली वर्षगांठ से पहले देय भुगतान न किए गए प्रीमियम, अगर कोई हो, को भी काटकर शेष हितलाभों का भुगतान कर दिया जाएगा।

(स) अगर पॉलिसी प्रभावी है और पॉलिसी के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में दावा दर्ज हुआ है, और मृत्यु की तिथि तक देय सभी प्रीमियम का भुगतान किया गया है, जहां प्रीमियम के भुगतान का माध्यम वार्षिक माध्यम से भिन्न है, अगर बकाया प्रीमियम का भुगतान मृत्यु के बाद नहीं किया गया है, और वे अगली पॉलिसी वर्षगांठ से पहले देय होती हैं, तो उन्हें दावे की राशि से काट लिया जाएगा।

भाग – द: सेवा प्रदान करने के पहलू से संबंधित शर्तें

1. **उम्र का प्रमाण:** प्रस्ताव प्रपत्र में घोषित की गई बीमित व्यक्ति की उम्र पर प्रीमियम की गणना हो जाने के पश्चात यदि उम्र उस उम्र से अधिक पायी जाती है तो बिना किसी पूर्वाग्रह के बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत उपलब्ध अधिकारों और उपचारों सहित निगम के अन्य अधिकारों और उपचारों को क्षति पहुंचाए बिना, ऐसे मामले में प्रीमियम सही उम्र के आधार पर मूल बीमाराशि और राइडर्स बीमाराशि, अगर लिया गया हो तो, के लिए निकाली गई दर से देय होगा और बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक निगम को पॉलिसी आरंभ होने से लेकर ऐसे भुगतान की तिथि तक मूल प्रीमियम और सही उम्र के लिए प्रीमियम के बीच अंतर की संचित राशि और उस पर उसी अवधि के लिए निगम द्वारा उस समय प्रचलित निर्धारित दर पर ब्याज सहित भुगतान करेगा। तथापि, प्रावधान है कि यदि बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक इसमें उल्लिखित प्रीमियम की दर से भुगतान करता रहे और उपयुक्त संचित ऋण राशि का भुगतान न करे तो पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से पॉलिसी के दावा बनने की तिथि तक सही उम्र के प्रीमियम और मूल प्रीमियम के बीच अंतर की संचित राशि और ऐसे अंतर की प्रत्येक किस्त पर दावे के समय निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर से ब्याज के साथ पॉलिसीधारक द्वारा देय होगी। उसे पॉलिसी पर बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा देय ऋण माना जाएगा तथा पॉलिसी के अंतर्गत दावा होने पर पॉलिसी धनराशि से काट लिया जाएगा।

   यह भी प्रावधान है कि यदि प्रवेश के समय बीमित व्यक्ति की सही उम्र ऐसी हो तो उक्त तालिका में निर्दिष्ट बीमा वर्ग अथवा शर्तों के अधीन उसे बीमा के लिए अयोग्य बना दे तो उसको बीमा के आरंभ में प्रचलित अन्य बीमा योजना में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जो कि पॉलिसीधारक की सहमति के अधीन होगी, अन्यथा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा।

2. **जब्ती और गैर–जब्ती संबंधी कानून:**

   जब्ती संबंधी कानून:

   (i) अगर इस पॉलिसी के 3 वर्षों से कम के लिए प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो और उसके बाद के प्रीमियमों का भुगतान न किया गया हो तो अदा न किए गए पहले प्रीमियम की तिथि से रियायती अवधि की समाप्ति के बाद इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ समाप्त हो जाएंगे तथा कुछ भी देय नहीं होगा और अदा किए गए प्रीमियम भी नहीं लौटाए जाएंगे।

   (ii) कातिपय अन्य घटनाओं में जब्ती: अगर यहां विहित या पृष्ठांकित कोई शर्त प्रतिकूल पायी जाती है या अगर प्रस्ताव, व्यक्तिगत वक्तव्य, घोषणा तथा संबंधित दस्तावेजों में किसी असत्य या गलत जानकारी का दिया जाना पाया जाता है या किसी महत्त्वपूर्ण जानकारी को छिपाया जाता है, तो ऐसी प्रत्येक स्थिति में पॉलिसी भंग हो जाएगी तथा किसी हितलाभ के सभी दावे समय–समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के विषयाधीन होंगे.

   गैर–जब्ती संबंधी कानून:

   लेकिन अगर, कम से कम पूरे तीन सालों के प्रीमियमों का भुगतान करने के बाद, अगले प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह पूरी तरह से अमान्य नहीं होगी, बल्कि चुकता पॉलिसी का रूप ले लेगी। लेकिन ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत ऑटो कवर अवधि निम्न अनुसार लागू होगी:

   ऑटो कवर अवधि:

   चुकता पॉलिसी के अंतर्गत ''ऑटो कवर अवधि'' भुगतान न किए गए पहले प्रीमियम के देय होने की तिथि से अवधि होगी, जिसमें अनुग्रह अवधि शामिल है।

6. **Payment of Premiums**

(a). The policyholder has to pay the Premium on the due dates as specified in the Schedule of this Policy Document alongwith Service tax and any other Tax as applicable from time to time.

(b). Grace period: A grace period of one month but not less than 30 days shall be allowed for payment of yearly or half-yearly or quarterly premiums and 15 days for monthly premiums. If the premium is not paid before the expiry of the days of grace, the Policy lapses.

If the death of the Life Assured occurs within the grace period but before the payment of the premium then due, the policy will still be valid and the benefits shall be paid after deductions of the said unpaid premium as also the balance premium(s), if any, falling due from the date of death and before the next policy anniversary.

(c). In case of death of Life Assured under an inforce policy wherein all the premiums due till the date of death have been paid and where the mode of payment of premium is other than yearly, balance premium(s), if any, falling due from the date of death and before the next policy anniversary shall be deducted from the claim amount.

PART – D: CONDITIONS RELATED TO SERVICING ASPECTS

1. **Proof of Age:** The premiums having been calculated on the age of the Life Assured as declared in the Proposal, in case the age is found higher than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938, the premiums shall be payable in such case at the rate calculated on the Basic Sum Assured and Rider(s) Sum Assured, if opted for, the correct age at entry, and the accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums, from the commencement of the Policy upto the date of such payment shall be paid to the Corporation with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time. However, in case the Life Assured/Proposer continues to pay the premiums at the rates shown herein, and also does not pay the above mentioned accumulated debt, the accumulated difference between the premiums for the correct age and the original premiums from the commencement of this Policy up to the date on which the Policy becomes a claim, with interest on each instalment of such difference at such rate as may be fixed by the Corporation from time to time, shall accrue and be treated as a debt due by the Life Assured / Proposer against the said Policy and shall be deducted from the Policy moneys payable on the Policy becoming a claim.

   Provided further that if the Life Assured's correct age at entry is such as would have made him/her uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, the class or terms shall stand altered to such Plan of Assurance as are granted by the Corporation according to the practice in force at the commencement of this policy subject to the consent of the Policyholder, otherwise the policy will be cancelled.

2. **Forfeiture and Non-forfeiture Regulations:**

   Forfeiture Regulations:

   (i) If less than three years' premiums have been paid in respect of this policy and any subsequent premium be not duly paid, all the benefits shall cease after the expiry of grace period from the date of first unpaid premium and nothing shall be payable, and the premiums paid thitherto are also not refundable.

   (ii) Forfeiture in Certain Other Events: In case any condition herein contained or endorsed hereon be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal, personal statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case this policy shall be void and all claims to any benefit by virtue hereof shall be subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act , 1938, as amended from time to time.

   Non –forfeiture Regulations:

   If at least three full years' premiums have been paid and any subsequent premiums be not duly paid, this policy shall not be wholly void but shall subsist as paid-up policy. However, under such policies Auto Cover Period shall be applicable as mentioned below:

   Auto Cover Period:

   "Auto Cover Period" under a paid-up policy shall be the period from due date of first unpaid premium, which includes the Grace Period.

ऑटो कवर अवधि की समय-अवधि निम्न अनुसार उपलब्ध होगी:

1. अगर कम से कम तीन पूरे वर्षों लेकिन पांच पूरे वर्षों से कम के लिए प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो और उसके बाद के प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया हो: पहले भुगतान न किए गए प्रीमियम की देय तिथि से छः महीने की ऑटो कवर अवधि उपलब्ध होगी।

2. अगर कम से कम पांच पूरे वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो और उसके बाद के किसी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया हो: पहले भुगतान न किए गए प्रीमियम की देय तिथि के दो वर्षों की ऑटो कवर अवधि उपलब्ध होगी।

ऑटो कवर अवधि के दौरान चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नअनुसार उपलब्ध होंगे:

1. मृत्यु होने पर: मृत्यु पर मिलने वाली राशि, जो कि पॉलिसी के प्रभावी होने पर देय है (भाग स की शर्त 1 में परिभाषित अनुसार), का भुगतान मृत्यु की तिथि को (अ) मूल पॉलिसी हेतु अदा न किए गए प्रीमियमों तथा (ब) उन पर ब्याज और मृत्यु की तिथि को एवं अगली पॉलिसी वर्षगांठ से पूर्व मूल पॉलिसी पर देय होने वाले बकाया प्रीमियमों को काटकर, अगर कोई हो

2. परिपक्वता पर: चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **परिपक्वता पर बीमा राशि** को ऐसी राशि से बदला जाएगा जिसे **''परिपक्वता चुकता बीमा राशि''** कहा जाता है, जो परिपक्वता की व्यक्त तिथि पर उत्तरजीवित बीमित व्यक्ति पर देय होगी। परिपक्वता चुकता बीमा राशि [(भुगतान की गई प्रीमियम की संख्या/देय प्रीमियम की कुल संख्या) x (परिपक्वता पर बीमा राशि)] के बराबर होगी। परिपक्वता चुकता बीमा राशि के अतिरिक्त, लॉयल्टी एडीशन, यदि कोई है, भी परिपक्वता पर देय होगें।

ऑटो कवर अवधि की समाप्ति के बाद चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्न अनुसार होंगे:

1. मृत्यु होने पर: चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **मृत्यु पर बीमा राशि** उस राशि तक घट जाएगी जिसे **''मृत्यु पर चुकता बीमा राशि''** कहा जाएगा और यह [मृत्यु पर बीमा राशि *(भुगतान किए गए प्रीमियमों की संख्या/कुल देय प्रीमियमों की संख्या)] के समान होगी। परिपक्वता प्रदत्त बीमा राशि के अतिरिक्त, लॉयल्टी एडीशन, यदि कोई हो, भी परिपक्वता पर देय होगी।

2. परिपक्वता पर: चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **परिपक्वता पर बीमा राशि** को ऐसी राशि से बदला जाएगा जिसे **''परिपक्वता चुकता बीमा राशि''** कहा जाता है, जो परिपक्वता की व्यक्त तिथि पर उत्तरजीवित बीमित व्यक्ति पर देय होगी। परिपक्वता चुकता बीमा राशि [(भुगतान की गई प्रीमियम की संख्या/देय प्रीमियम की कुल संख्या) x (परिपक्वता पर बीमा राशि)] के बराबर होगी। परिपक्वता चुकता बीमा राशि के अतिरिक्त, लॉयल्टी एडीशन, यदि कोई है, भी परिपक्वता पर देय होगें।

एक चुकता पॉलिसी के अंतर्गत, लॉयल्टी एडीशन, यदि कोई हो, उन पूरे हुए पॉलिसी वर्षों, जिनके लिए पॉलिसी प्रभावी थी, हेतु देय होगी, बशर्ते कम से कम 5 पूर्ण वर्षों के लिए एवं 5 पॉलिसी वर्षों की पूर्णता के पश्चात प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। यह लॉयल्टी एडीशन प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि पर पूर्ण हुए पॉलिसी वर्षों के अनुरूप होगी। उसके पश्चात पॉलिसी भावी लाभों में प्रतिभागिता नहीं करेगी।

ये प्रावधान वैकल्पिक राइडर (रों) पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कोई चुकता मूल्य नहीं होता है तथा अगर पॉलिसी कालातीत दशा में हो तो राइडर हितलाभ लागू नहीं होता है।

3. **कालातीत पॉलिसियों का पुनर्चलन:** अगर रियायती दिनों के अंदर प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण पॉलिसी कालातीत हो गयी हो, तो इसे अदा न किए गए पहले प्रीमियम की तिथि से लगातार 2 वर्षों की अवधि के अंदर, तथा परिपक्वता की तिथि से पहले, मगर बीमित व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान फिर से चालू किया जा सकता है, जो कि निगम को बीमित व्यक्ति हेतु संतोषप्रद, निरन्तर बीमा योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करने तथा तथा समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज के साथ (छमाही चक्रवृद्धि दर से) प्रीमियम की सभी बकाया राशियों का भुगतान करने पर बहाल होगी। लेकिन निगम के पास स्थगित पॉलिसी को फिर से चालू करने को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। स्थगित पॉलिसी की बहाली तभी प्रभावी होगी जब निगम द्वारा उसे अनुमोदित किया जाएगा तथा बीमित व्यक्ति को विशिष्ट रूप से सूचित कर दिया जाएगा।

   पुनर्चलन अवधि तथा ऑटो कवर अवधि (भाग द की शर्त 2 में परिभाषित अनुसार) को समकालिक संचालित होना चाहिए अर्थात ऑटो कवर की अवधि से पुर्नचलन की अवधि में बढ़ोतरी नहीं होती है।

   राइडर को पुनः प्रचालित करने, अगर चुना गया हो, पर तभी विचार किया जाएगा अगर मूल पॉलिसी को भी पुनर्चालित किया जाता है, न कि सिर्फ़ राइडर को।

4. **अभ्यर्पण:** पॉलिसी के अंतर्गत कम से कम पूरे तीन वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान करने के बाद उसे पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय अभ्यर्पित किया जा सकता है। पॉलिसी को अभ्यार्पित किए जाने पर, निगम द्वारा अभ्यर्पण मूल्य का

The duration of Auto Cover Period shall be available as follows:

1. If at least three full years' but less than five full years' premiums have been paid and any subsequent premium is not duly paid: Auto Cover Period of six months from the due date of first unpaid premium shall be available.

2. If at least five full years' premiums have been paid and any subsequent premium is not duly paid: Auto Cover Period of two years from the due date of first unpaid premium shall be available.

The benefits payable under a paid-up policy during Auto Cover Period shall be as follows:

1. On death: Death benefit, as payable under an inforce policy (as defined in Condition 1 of Part C), shall be paid after deduction of (a) the unpaid premium(s) in respect of the base policy with interest thereon upto the date of death, and (b) the balance premium(s) for the base policy falling due from the date of death and before the next policy anniversary, if any.

2. On maturity: The **Sum Assured on Maturity** under paid-up policy shall be altered to such an amount called **"Maturity Paid-up Sum Assured"** which shall be payable on Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity. The Maturity Paid-up Sum assured shall be equal to [(Number of premiums paid/Total Number of premiums payable) x (Sum Assured on Maturity)].)]. In addition to the Maturity Paid-up Sum Assured, Loyalty Addition, if any, shall also be payable on maturity.

The benefits payable under a paid-up policy after the expiry of Auto Cover Period shall be as follows:

1. On death: **Sum Assured on Death** under a paid-up policy shall be reduced to such an amount, called **"Death Paid-up Sum Assured"** and shall be equal to [Sum Assured on Death * (Number of premiums paid / Total number of premiums payable)]. In addition to the Death Paid-up Sum Assured , Loyalty Addition, if any, shall also be payable on death after the expiry of Auto Cover Period.

2. On maturity: The **Sum Assured on Maturity** under paid-up policy shall be altered to such an amount called **"Maturity Paid-up Sum Assured"** which shall be payable on Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity. The Maturity Paid-up Sum Assured shall be equal to [(Number of premiums paid/Total Number of premiums payable) x (Sum Assured on Maturity)]. In addition to the Maturity Paid-up Sum Assured, Loyalty Addition, if any, shall also be payable on maturity.

Under a Paid-up policy, Loyalty Addition, if any, shall be payable for the completed policy years for which the policy was inforce, provided the premium have been paid for atleast 5 full years and after completion of 5 policy years. This Loyalty Addition shall correspond to complete policy years as on the date of first unpaid premiums. Thereafter, the policy ceases to participate in future profits.

These provisions do not apply to optional Rider(s) as they do not acquire any paid up value and the rider benefit ceases to apply, if policy is in lapsed condition.

3. **Revival of lapsed Policies:** If the Policy has lapsed due to non payment of due premium within the days of grace, it may be revived during the life time of the Life Assured, but within a period of 2 consecutive years from the date of the first unpaid premium and before the date of maturity, on submission of proof of continued insurability of the Life Assured to the satisfaction of the Corporation and the payment of all the arrears of premium together with interest (compounding half-yearly) at such rate as fixed by the Corporation from time to time. The Corporation however, reserves the right to accept at original terms, accept with modified terms or decline the revival of a discontinued policy. The revival of the discontinued policy shall take effect only after the same is approved by the Corporation and is specifically communicated to the Life Assured.

   Revival period and Auto Cover Period (as defined in Condition 2 of Part D) shall run concurrently i.e. Auto Cover period does not extend period of revival.

   Revival of Rider(s), if opted for, will only be considered along with the revival of the Base Policy and not in isolation.

4. **Surrender:** The policy can be surrendered at any time provided premiums have been paid for atleast three full years. On surrender of the policy, the Corporation shall pay the Surrender Value equal to higher of Guaranteed Surrender Value and Special Surrender Value.

भुगतान किया जाएगा, जो कि गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य तथा विशेष अभ्यर्पण मूल्य से जो भी अधिक हो, उसके समान होगा।

गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कुल अदा किए गए प्रीमियमों में से बीमालेखन निर्णयों के कारण घटायी गई किसी अतिरिक्त राशि तथा राइडर (राइडर्स) के लिए प्रीमियम, अगर चुना गया हो, के साथ कुल अदा किए गए प्रीमियम पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य घटक के गुणनफल के समान होगा। प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए ये गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य घटक पॉलिसी अवधि तथा पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगें; जब पॉलिसी को अभ्यर्पित किया गया था तथा ये इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-4 में मौजूद हैं।

यद्यपि, इस पॉलिसी के अंतर्गत, विशेष अभ्यर्पण मूल्य देय होगा, यदि यह पॉलिसीधारक के अधिक हित में हो। विशेष अभ्यर्पण मूल्य, विशेष अभ्यर्पण मूल्य घटक गुणित परिपक्वता चुकता बीमा राशि (जैसा भाग द की शर्त 2 में परिभाषित है) होगी। इस पॉलिसी के लिए लागू विशेष अभ्यर्पण मूल्य घटक आईआरडीएआई के पूर्व अनुमोदन के साथ समय-समय पर बदल सकता है। विशेष अभ्यर्पण मूल्य के अतिरिक्त, लॉयल्टी एडीशन भी देय होगी, बशर्ते पॉलिसी ने 5 वर्ष पूर्ण किए हों और कम से कम पांच पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया हो।

राइडर पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा, अगर कोई हो।

5. **पॉलिसी ऋण:** अगर कम से कम पूरे तीन वर्षों के प्रीमियम का भुगतान किया गया हो तो इस पॉलिसी की निम्नलिखित शर्तों तथा पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य पर तथा निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई अन्य नियमों तथा शर्तों के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया जा सकता है:

   1. पॉलिसी पूर्णतः समनुदेशित होगी तथा ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी के लिए उसे जमानत के रूप में निगम के द्वारा धारित रखी जाएगी।
   2. अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में अधिकतम ऋण इस प्रकार होगा:
      - प्रभावी पॉलिसियों के लिए – 90% तक
      - चुकता पॉलिसियों के लिए – 80% तक
   3. निगम को ब्याज का भुगतान इस पॉलिसी के अंतर्गत ऋण लेते समय निगम द्वारा विनिर्धारित दर से छमाही चक्रवृद्धि दर से किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए, ब्याज की लागू दर 10% वार्षिक है, जो कि छमाही देय है। ब्याज की पहली किस्त का भुगतान अगली पॉलिसी वर्षगांठ पर या अगली पॉलिसी वर्षगांठ से छः महीने पहले की तिथि पर, जो भी उसके तुरन्त बाद हो, जब ऋण स्वीकृत किया गया था, किया जाएगा और उसके बाद हर छः महीने पर किया जाएगा। ब्याज कम से कम छः महीनों के लिए लिया जाएगा।
   4. नियत तिथियों पर ऋण ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में, और जब ब्याज के साथ बकाया ऋण अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाए, निगम ऐसी पॉलिसियों को बंद करने का अधिकारी होगा। ऐसी पॉलिसियां बंद होने पर ब्याज, यदि कोई हो, के साथ ऋण बकाया राशि तथा अभ्यर्पण मूल्य के अंतर के भुगतान की पात्र होंगी।
   5. निगम 3 माह की सूचना देकर समस्त बकाया ब्याज सहित ऋण की राशि माँगने या वसूल करने का अधिकारी होगा।
   6. यदि पॉलिसी परिपक्व या अभ्यर्पित होती है या मृत्यु द्वारा दावा बनती है, तो ऐसी स्थिति में निगम पॉलिसी धन से समस्त ब्याज सहित बकाया ऋण की राशि की कटौती करने का अधिकारी होगा।

6. **मुफ्त समीक्षा अवधि:** पॉलिसीधारक को पॉलिसी दस्तावेज मिलने की तिथि से 15 दिनों की मुफ्त समीक्षा अवधि के दौरान, अगर पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियम तथा शर्तों से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी आपत्तियों के कारण का उल्लेख करते हुए पॉलिसी को लौटा सकता है। इसके प्राप्त होने पर निगम पॉलिसी को रद्द कर देगा तथा संरक्षित जोखिम अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल पॉलिसी और राइडर, अगर चुना गया हो, के लिए) स्वास्थ्य जांच शुल्क व स्टैम्प ड्यूटी हेतु शुल्क को काटकर, जमा किए गए प्रीमियम को लौटा देगा।

भाग – ई लागू नहीं

भाग – र: अन्य नियम व शर्तें

1. **अ) समनुदेशन:** इस पॉलिसी के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अंतर्गत समनुदेशन की अनुमति है। धारा 38 के मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-1 में संलग्न हैं। समनुदेशन की सूचना, पॉलिसी को सेवा प्रदान करने वाले निगम के कार्यालय में पंजीकरण के लिए दी जानी चाहिए।

   ब) नामांकन: बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार जीवन बीमा की पॉलिसीधारक द्वारा नामांकन अपेक्षित है। धारा 39 के मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-2 में दिए गए हैं। नामांकन या नामांकन में परिवर्तन की सूचना निगम कार्यालय द्वारा पंजीकरण हेतु पॉलिसी को सेवा प्रदान करने वाली शाखा में, दी जानी चाहिए। नामांकन का पंजीकरण करते समय निगम उसकी वैधता या कानूनी प्रभाव के बारे में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है या अपनी कोई राय नहीं देता है।

The Guaranteed Surrender Value payable during the policy term shall be equal to the total premiums paid excluding any extra amount if charged under the policy due to underwriting decisions and premiums for rider(s), if opted, for, multiplied by the Guaranteed Surrender Value factor applicable to total premiums paid under the policy. These Guaranteed Surrender Value factors expressed as percentages will depend on the policy term and policy year in which the policy is surrendered and are contained in Annexure - 4 of this policy document.

However, under this policy, Special Surrender Value will be payable, if it is more favorable to the Policyholder. The Special Surrender Value will be the Special Surrender Value factor multiplied by Maturity Paid-up Sum Assured (as defined in Condition 2 of Part D). The Special Surrender Value factors applicable to this policy may change from time to time with prior approval of IRDAI. In addition to Special Surrender Value, Loyalty Addition shall also be payable provided policy has completed 5 policy years and atleast 5 full years premiums have been paid.

No surrender value will be available on Rider(s), if any.

5. **Policy Loan:** Loan can be availed under this policy provided atleast three full years' premiums have been paid subject to the following terms and conditions, within the surrender value of the policy for such amounts and on such further terms and conditions as the Corporation may fix from time to time:

   1. The Policy shall be assigned absolutely to and held by the Corporation as security for the repayment of Loan and of the interest thereon;
   2. The maximum loan as a percentage of surrender value shall be as under:
      - For inforce policies – upto 90%
      - For paid-up policies – upto 80%
   3. Interest on Loan shall be paid on compounding half-yearly basis to the Corporation at the rate to be specified by the Corporation at the time of taking loan under this policy. For Financial Year 2016-17, the applicable interest rate is 10% p.a. payable half-yearly. The first payment of interest is to be made on the next Policy anniversary or on the date six months before the next Policy anniversary whichever immediately follows the date on which the Loan is sanctioned and every half year thereafter. Interest is charged for a minimum period of six months.
   4. In the event of default in payment of loan interest on the due dates, and when the outstanding loan along with interest is to exceed the surrender value, the Corporation shall be entitled to foreclose such policies. Such policies when being foreclosed shall be entitled to payment of the difference of surrender value and the loan outstanding amount along with interest, if any.
   5. Corporation is entitled to recover or recall the amount of the Loan with all due interest by giving 3 months' notice;
   6. In case the policy shall mature or is surrendered or become a claim by death, the Corporation shall become entitled to deduct the amount of the outstanding loan, together with all interest from the policy moneys.

6. **Free look period:** During the Free Look period of 15 days from the date of receipt of the Policy Document by the Policyholder, if the Policyholder is not satisfied with the Terms and Conditions of the policy, he/she may return the policy to the Corporation stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the policy and return the amount of premium deposited after deducting the proportionate risk premium (for Base Policy and Rider(s), if opted for) for the period on cover and charges for stamp duty.

PART E: NOT APPLICABLE.

PART – F: OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. **a) Assignments:** Assignment is allowed under this plan as per section 38 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 38 are contained in Annexure-1 of this Policy Document. The notice of assignment should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced.

   b) Nominations: Nomination by the holder of a policy of life assurance is required as per Section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 39 are contained in Annexure-2 of this Policy Document. The notice of nomination or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering nomination the Corporation

2. **आत्महत्या:** यह पॉलिसी अवैध मानी जाएगी

i. अगर बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ), जोखिम के आरंभ होने की तिथि से 12 महीनों के अंदर आत्महत्या करता है तो निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, केवल अदा किए गए प्रीमियम के 80% को, किन्हीं अतिरिक्त राशियों, जिन्हें बीमालेखन निर्णयों के कारण पॉलिसी के अंतर्गत लिया गया हो, तथा राइडर प्रीमियम, अगर कोई हो, को छोड़कर का भुगतान किया जाएगा। बशर्ते पॉलिसी चालू अवस्था में हो।

ii. अगर बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ), पुनः प्रचालन की तिथि से 12 महीनों के अंदर आत्महत्या करता है तो मृत्यु की तिथि तक अदा किए गए प्रीमियम्स के 80% को किसी अतिरिक्त राशियों, जिसे बीमालेखन निर्णयों के कारण पॉलिसी के अंतर्गत लिया गया हो तथा राइडर प्रीमियम, अगर कोई हो, को छोड़कर या अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा। निगम द्वारा इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। यह धारा लागू नहीं होगी अगर पॉलिसी चुकता मूल्य प्राप्त किए बिना कालातीत हो गयी हो तो ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

3. **कर:** ऐसी बीमा योजनाओं पर यदि कोई वैधानिक कर भारत सरकार या किसी अन्य भारत की संवैधानिक संस्था द्वारा कर लगाया जाता है तो वह समय-समय पर लागू कर संबंधी कानूनों और कर की दर के अनुसार होगा।

पॉलिसीधारक को प्रीमियम (मूल प्रीमियम और राइडर्स सहित, अगर लागू हो) जिसमें अगर पॉलिसी के अंतर्गत बीमालेखन संबंधी निर्णयों के तहत कोई अतिरिक्त राशि ली गई हो तो वह भी शामिल है, पर देय सेवा कर मौजूदा दरों से लिया जाएगा, जो कि पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के ऊपर व अतिरिक्त होगा। अदा किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

4. **दावे के लिए सामान्य अपेक्षाएं:** बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय देय सामान्य दस्तावेजों में निगम द्वारा विनिर्धारित दावा प्रपत्र के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेज, दावे की राशि के सीधे बैंक अकाउन्ट में जमा होने के लिए दावेदार की ओर से एनईएफटी आदेश, डिस्चार्ज फॉर्म, स्वामित्व का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण निगम को संतोषप्रद रूप में प्रस्तुत करना होगा। अगर पॉलिसी के अंतर्गत उम्र स्वीकृत नहीं की है, तो बीमित व्यक्ति की उम्र का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

पॉलिसी के परिपक्वता दावे में परिणत होने या पॉलिसी के अभ्यर्पण किए जाने की स्थिति में, बीमित व्यक्ति को डिस्चार्ज फॉर्म के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेज, दावे की राशि के सीधे बैंक अकाउन्ट में जमा होने के लिए दावेदार की ओर से एनईएफटी आदेश, उम्र का प्रमाण, अगर उम्र को पहले स्वीकृत नहीं किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा।

पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटनात्मक मृत्यु का दावा उत्पन्न होने पर निम्नलिखित सूची में से लागू विवरणियां मंगवायी जा सकती है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई:-

1) प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) (एफआईआर) की प्रमाणित प्रतिलिपि

2) पुलिस तहकीकात रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि

3) पंचनामा की प्रतिलिपि

4) मृत्यु के संभावित कारण की जानकारी के लिए पोस्ट मॉर्टम की रिपोर्ट. अगर पोस्ट मॉर्टम में भीतरी अंग (आंत) को सुरक्षित किया गया है तो उसकी सामग्रियों की जानकारी के लिए केमिकल एनालाइजर रिपोर्ट अर्थात क्या बीमित व्यक्ति ने शराब, ड्रग्स, मादक द्रव्यों या जहर का सेवन किया था।

5) अखबार की कटिंग, जिसमें दुर्घटना का उल्लेख किया गया हो।

6) अगर मृत्यु का कारण वाहन दुर्घटना हो तो ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि, अगर बीमित व्यक्ति वाहन चला रहा हो।

7) मृत्यु के बारे में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट का अंतिम निर्णय- इससे मृत्यु के वर्गीकरण - स्वाभाविक/आत्महत्या/दुर्घटनात्मक की जानकारी मिलेगी।

8) जहां दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस में नहीं की गई हो, जैसे कि कुत्ते या सांप के काटने से मृत्यु, तो वैकल्पिक प्रमाण दिया जाना चाहिए जैसे कि चश्मदीद गवाह का बयान, ग्रामसेवक या सरकारी अधिकारी का हलफनामा, हमारी अपनी पूछताछ रिपोर्ट, इलाज करने वाले डॉक्टर या अस्पताल की रिपोर्ट पर्याप्त हो सकती है।

9) अस्पताल में इलाज का रिकॉर्ड, इत्यादि

5. **वैधानिक परिवर्तन:** इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम व देय हितलाभ तथा नियम तथा शर्तें संबंधित विधानों और विनियमों में परिवर्तन के विषयाधीन होंगे।

6. **लाभों का उदाहरण:** मानक जीवन अवधारणा पर आधारित आपका अनुकूल हितलाभ का उदाहरण इस पॉलिसी दस्तावेज के साथ संलग्न है।

<u>भाग - ल: सांविधिक प्रावधान</u>

<u>बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45:</u>

समय-समय पर यशासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 का प्रावधान लागू होगा। मौजूदा प्रावधान परिशिष्ट-III में संलग्न है।

does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.

2. **Suicide:** This policy shall be void

i. If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide at any time within 12 months from the date of commencement of risk, the Corporation will not entertain any claim under this policy except for 80% of the premiums paid excluding any extra amount if charged under the policy due to underwriting decisions and rider premium(s), if any, provided the policy is inforce.

ii. If the Life Assured (whether sane or insane) commits suicide within 12 months from date of revival, an amount which is higher of 80% of the premiums paid till the date of death excluding extra amount if charged under the policy due to underwriting decisions and rider premium(s), if any, or the surrender value, shall be payable. The Corporation will not entertain any other claim under this policy. This clause shall not be applicable for a policy lapsed without acquiring paid-up value and nothing shall be payable under such policy.

3. **Tax:** Statutory Taxes, if any, imposed on such insurance plans by the Government of India or any other constitutional tax Authority of India shall be as per the Tax laws and the rate of tax shall be as applicable from time to time.

The amount of Service Tax payable as per the prevailing rates shall be payable by the policyholder on premiums (for base policy & rider(s),if any) including extra amount if charged under the policy due to underwriting decisions, which shall be collected separately over and above in addition to the premiums payable by the policyholder. The amount of tax paid shall not be considered for the calculation of benefits payable under the plan.

4. **Normal requirements for a claim:** The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured shall be claim forms, as prescribed by the Corporation, accompanied with original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account, Discharge form, proof of title, proof of death, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Life assured shall also be submitted.

Where the policy results into a maturity claim or in case of surrender of the policy, the Life Assured shall submit the discharge form along with the original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account besides proof of age, if the age is not admitted earlier.

Where policy results into a accidental death claim the applicable statements from the following list may be called to ascertain circumstances under which death took place:-

1) A certified copy of first information report (FIR).

2) A certified copy of police inquest report.

3) Copy of panchanama.

4) Post mortem report to know the probable cause of death. If viscera are preserved in post mortem, then chemical analyzer report to know the contents i.e. whether life assured has consumed liquor, drugs, narcotics or poison.

5) News paper cuttings where accident is reported.

6) If death is due to vehicle accident, then copy of driving licence, if life assured was driving the vehicle.

7) Sub-divisional magistrate final verdict about death - this will give classification of death as ‘natural/suicide/accidental’

8) When accident is not reported to police authorities, like death due to dog or snake bite, then alternate proofs such as statement of eye witness, affidavit of gramsevak or govt. officials, our own enquiry report, attending physician or hospital reports may be sufficient.

9) Hospital treatment records, etc.

5. **Legislative Changes:** The Terms and Conditions including the premiums and benefits payable under this policy are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.

6. **Benefit Illustration:** Your customized Benefit Illustration is enclosed to this Policy Document.

<u>PART – G: STATUTORY PROVISIONS</u>

<u>Section 45 of the Insurance Act 1938:</u>

The provisions of Section 45 of the Insurance Act 1938 shall be applicable as amended from time to time. The current provisions are contained in Annexure-3 of this policy document.

शिकायत समाधान प्रणाली:

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत समाधान अधिकारी हैं। ग्राहकों की शिकायत का शीघ्र समाधान करने के लिए निगम ने अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइड) http://www.licindia.in के ज़रिए ग्राहकोन्मुखी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रस्तुत की है, जिसके ज़रिए पंजीकृत पॉलिसीधारक अपनी शिकायत को सीधे दर्ज कर सकते हैं तथा उसकी स्थिति पर निगरानी रख सकते हैं। ग्राहक अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए ईमेल आईडी co_crmgrv@licindia.com पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

अगर कोई ग्राहक हमसे प्राप्त प्रतिसाद से संतुष्ट नहीं है या उसे 15 दिनों के अंदर कोई प्रतिसाद प्राप्त नहीं होता है तो वह निम्नलिखित में से किसी माध्यम के ज़रिए आईआरडीएआई के शिकायत कक्ष से सम्पर्क कर सकता है:

- टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीएआई के शिकायत कॉल सेन्टर) पर कॉल करके
- complaints@irda.gov.in पर ईमेल प्रेषित करके
- http://www.igms.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके
- कुरियर/पत्र के जरिए शिकायत भेजने का पता: उपभोक्ता मामला विभाग, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, 9वीं मंजिल, युनायटेड इंडिया टावर्स, बशीरबाग, हैदराबाद-500029, आंध्र प्रदेश.
- फैक्स नं. 040-66789768 पर शिकायत भेजकर

जो दावेदार मृत्यु के दावे को अस्वीकृत किए जाने के निर्णय से असंतुष्ट हों वे अपने मामले को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विवाद समाधान समिति या केन्द्रीय कार्यालय दावा विवाद समाधान समिति के पास भेज सकते हैं। प्रत्येक दावा विवाद समाधान समिति में उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज सदस्य के रूप में हैं। शिकायतों से संबंधित दावों के समाधान के लिए दावेदार भारत सरकार द्वारा नियुक्त बीमा लोकपाल से भी सम्पर्क कर सकते हैं जो कि ग्राहकों को कम खर्चे के साथ त्वरित गति से मध्यस्थता प्रदान करने के लिए है।

परिशिष्ट 1

समनुदेशन-बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार

(1) बीमा पॉलिसी का अंतरण या समनुदेशन, पूर्णत: या अंशत: प्रतिफलसहित या इसके बिना, केवल पॉलिसी पर ही पृष्ठांकन या अलग से इंस्ट्रूमेन्ट द्वारा किसी भी मामले में अंतरणकर्ता या समनुदेशक या उनके अधिकृत एजेन्ट द्वारा किया जा सकता है, जिसे कम से कम एक साक्षी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अंतरण या अभ्यर्पण के तथ्य और कारण, समनुदेशित के पूर्ववृत्त और समनुदेशन की शर्तों का उल्लेख करते हुए।

(2) बीमाकर्ता उप-धारा (1) के अंतर्गत किए गए किसी अंतरण या समनुदेशन को स्वीकार कर सकता है या किसी पृष्ठांकन को स्वीकार करने से मना कर सकता है, अगर उसके पास यह मानने का पर्याप्त कारण हो कि यह अंतरण या समनुदेशन वास्तविक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में या जनहित या बीमा पॉलिसी की ट्रेडिंग के प्रयोजन हेतु उपयुक्त नहीं है।

(3) बीमाकर्ता, पृष्ठांकन पर अमल करने से इन्कार करने से पहले अपनी अस्वीकृति के कारण को लिखित में दर्ज करेगा तथा पॉलिसीधारक द्वारा ऐसे अंतरण या समनुदेशन का नोटिस देने की तिथि से 30 दिनों के अंदर ऐसी अस्वीकृति से पॉलिसीधारक को सूचित करेगा।

(4) बीमाधारक द्वारा ऐसे अंतरण या पृष्ठांकन पर अमल करने से इन्कार करने से प्रभावित कोई व्यक्ति बीमाकर्ता से कारण सहित इन्कार की सूचना मिलने की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्राधिकारी के पास अपना दावा रख सकता है।

(5) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, अंतरण या समनुदेशन पूर्ण होगा तथा ऐसे पृष्ठांकन या विधिवत सत्यापित इंस्ट्रूमेन्ट पर अमल प्रभावी होगा, सिवाय वहां जहां अंतरण या समनुदेशन बीमाकर्ता के पक्ष में है, बीमाकर्ता के विरूद्ध प्रभावी न होगा, तथा यह अंतरिती या समनुदेशित या उनके कानूनी प्रतिनिधि को ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत राशि के लिए कानूनी दावा करने या उनके द्वारा धनराशि को सुरक्षित करने का अधिकार नहीं देता है। अंतरण या समनुदेशन का लिखित में नोटिस या उक्त पृष्ठांकन या इंस्ट्रूमेन्ट की प्रति, जिसे जब तक कि अंतरणकर्ता तथा अंतरिती दोनों या उनके विधिवत अधिकृत एजेन्ट्स द्वारा सत्य होने के लिए सत्यापित किया गया हो, बीमाकर्ता को सौंपा नहीं जाता है।

बशर्ते जहां बीमाकर्ता के भारत में एक या अधिक कारोबार के स्थान हो, वहां नोटिस को केवल वहीं पर दिया जाना है, जहां से पॉलिसी को सेवा प्रदान की जा रही है।

(6) जिस तिथि को उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस बीमाकर्ता को सुपुर्द किया जाता है, उससे वह पॉलिसी में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों के बीच अंतरण या समनुदेशन के अंतर्गत सभी दावों के लिए प्राथमिकता को विनियमित करेगी, तथा जहां अंतरण या समनुदेशन के एक से अधिक इंस्ट्रूमेन्ट हों वहां ऐसे इंस्ट्रूमेन्ट्स के अंतर्गत दावों की प्राथमिकता उस क्रम द्वारा शासित होगी, जिसमें उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस सुपुर्द किए गए हैं।

Grievance Redressal Mechanism:

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/Zonal/Central Office to redress grievances of customers. For ensuring quick redressal of customer grievances the Corporation has introduced Customer friendly Integrated Complaint Management System through our Customer Portal (website) which is http://www.licindia.in, where a registered policy holder can directly register complaint / grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail id co_crmgrv@licindia.com for redressal of any grievances.

In case the customer is not satisfied with the response or do not receive a response from us within 15 days, then the customer may approach the Grievance Cell of the IRDAI through any of the following modes:

- Calling Toll Free Number 155255 / 18004254732 (i.e. IRDAI Grievance Call Centre)
- Sending an email to complaints@irda.gov.in
- Register the complaint online at http://www.igms.irda.gov.in
- Address for sending the complaint through courier / letter: Consumer Affairs Department, Insurance Regulatory and Development Authority of India, 9th Floor, United India Towers, Basheerbagh, Hyderabad – 500 029, Andhra Pradesh.
- Sending the complaint by Fax to 040-66789768

Claimants not satisfied with the decision of death claim repudiation have the option of referring their cases for review to Zonal Office Claims Dispute Redressal Committee or Central Office Claims Dispute Redressal Committee. A retired High Court/District Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal Committees. For redressal of Claims related grievances, claimants can also approach Insurance Ombudsman who provides for low cost and speedy arbitration to customers.

Annexure 1

Assignment - As per Section 38 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

(1) A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in part, whether with or without consideration, may be made only by an endorsement upon the policy itself or by a separate instrument, signed in either case by the transferor or by the assignor or his duly authorised agent and attested by at least one witness, specifically setting forth the fact of transfer or assignment and the reasons thereof, the antecedents of the assignee and the terms on which the assignment is made.

(2) An insurer may, accept the transfer or assignment, or decline to act upon any endorsement made under sub-section (1), where it has sufficient reason to believe that such transfer or assignment is not bonafide or is not in the interest of the policyholder or in public interest or is for the purpose of trading of insurance policy.

(3) The insurer shall, before refusing to act upon the endorsement, record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the policyholder not later than thirty days from the date of the policy-holder giving notice of such transfer or assignment.

(4) Any person aggrieved by the decision of an insurer to decline to act upon such transfer or assignment may within a period of thirty days from the date of receipt of the communication from the insurer containing reasons for such refusal, prefer a claim to the Authority.

(5) Subject to the provisions in sub-section (2), the transfer or assignment shall be complete and effectual upon the execution of such endorsement or instrument duly attested but except, where the transfer or assignment is in favour of the insurer, shall not be operative as against an insurer, and shall not confer upon the transferee or assignee, or his legal representative, any right to sue for the amount of such policy or the moneys secured thereby until a notice in writing of the transfer or assignment and either the said endorsement or instrument itself or a copy thereof certified to be correct by both transferor and transferee or their duly authorised agents have been delivered to the insurer:

Provided that where the insurer maintains one or more places of business in India, such notice shall be delivered only at the place where the policy is being serviced.

(6) The date on which the notice referred to in sub-section (5) is delivered to the insurer shall regulate the priority of all claims under a transfer or assignment as between persons interested in the policy; and where there is more than one instrument of transfer or assignment the priority of the claims under such instruments shall be governed by the order in which the notices referred to in sub-section (5) are delivered:

समनुदेशितों के बीच भुगतान की प्राथमिकता के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होने पर उसे प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।

(7) उप–धारा (5) में संदर्भित नोटिस के प्राप्त होने पर, ऐसे अंतरण या समनुदेशन के तथ्य को उसकी तिथि तथा अंतरिती या समनुदेशित के नाम के साथ दर्ज करेगा तथा नोटिस देने वाले व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर, या अगर अंतरिती या समनुदेशित, विनियमों द्वारा निर्धारित की गई फीस के भुगतान पर, ऐसे नोटिस के प्राप्त होने की लिखित पावती देता है; और ऐसी किसी पावती को बीमाकर्ता के विरूद्ध इस बात का निष्कर्षी साक्ष्य माना जाएगा कि उसे पावती से संबंधित नोटिस विधिवत प्राप्त हुआ है।

(8) अंतरण या समनुदेशन के नियमों तथा शर्तों के अधीन, बीमाकर्ता द्वारा, उप–धारा (5) में संदर्भित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से, पॉलिसी के अंतर्गत लाभ के पात्र अंतरिती या समनुदेशित की पहचान करेगा या ऐसा व्यक्ति उन सभी दायिताओं तथा इक्विटियों के अधीन होगा, जिसका कि अंतरण या समनुदेशन की तिथि को अंतरणकर्ता या समनुदेशक पात्र था तथा वह पॉलिसी के संबंध में कोई कार्रवाई कर सकता है, वह पॉलिसी के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकता है या अंतरणकर्ता या समनुदेशक की सहमति प्राप्त किए बिना पॉलिसी को अभ्यर्पण कर सकता है या उसे ऐसी कार्रवाई की एक पार्टी बना सकता है।

स्पष्टीकरण – सिवाय इसके कि जहां उप–धारा (1) में संदर्भित पृष्ठांकन स्पष्ट रूप से उल्लेख करता हो कि समनुदेशन या अंतरण, यहां दी गई उप–धारा (10) के अंतर्गत सशर्त है, प्रत्येक समनुदेशन या अंतरण को पूर्ण समनुदेशन या अंतरण माना जाएगा तथा समनुदेशित या अंतरिती को, जैसी भी स्थिति हो, क्रमशः पूर्ण समनुदेशित या अंतरिती माना जाएगा।

(9) बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 के आरंभ होने से पहले किए गए किसी समनुदेशन या अंतरण से जीवन बीमा की पॉलिसी के किसी समनुदेशित या अंतरिती के अधिकार व उपचार इस धारा के प्रावधारों द्वारा प्रभावित नहीं होंगे।

(10) किसी कानून के होने के बावजूद या ग्राहक की कानून के प्रतिकूल बाध्यता होने पर, व्यक्ति के पक्ष में समनुदेशन इस दशा में किया जा सकता है कि

अ. पॉलिसी के अंतर्गत धनराशि पॉलिसीधारक या नामित व्यक्ति या नामित व्यक्तियों को उस दशा में देय हो सकती है अगर समनुदेशित या अंतरिती की मृत्यु बीमाधारक से पहले हो जाती है; या

ब. बीमाधारक पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहता है, मान्य होगा:

तथापि सशर्त समनुदेशित पॉलिसी को अभ्यर्पण करने या पॉलिसी पर ऋण लेने का पात्र नहीं होगा।

(11) उप–धारा (1) के अंतर्गत बीमा पॉलिसी के आंशिक समनुदेशन या अंतरण की दशा में, बीमाकर्ता की दायिता आंशिक समनुदेशन या अंतरण द्वारा सुरक्षित की गई राशि तक सीमित होगी तथा ऐसा पॉलिसीधारक उसी पॉलिसी के अंतर्गत देय शेष राशि के लिए पुनः समनुदेशन या अंतरण करने का पात्र नहीं होगा।

<u>परिशिष्ट 2</u>

<u>नामांकन – बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार</u>

(1) जीवन बीमा की पॉलिसी का धारक अपने जीवन पर, पॉलिसी लेते समय या भुगतान हेतु पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नामित कर सकता है, जिसे/जिन्हें उसकी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि का भुगतान किया जाएगा।

शर्त यह है कि, अगर नामित व्यक्ति नाबालिग हो, तो पॉलिसीधारक के लिए यह कानूनन उचित होगा कि बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित तरीके से किसी व्यक्ति को नियुक्त करे जो कि नामित व्यक्ति के नाबालिग रहने के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि को प्राप्त कर सके।

(2) ऐसे किसी नामांकन को प्रभावी होने के लिए, अगर वह पॉलिसी की शब्द योजना में निगमित नहीं है, तो उसे बीमित करने के लिए सूचित पॉलिसी पर पृष्ठांकन तथा पॉलिसी से संबंधित रिकॉर्ड्स में उसके द्वारा पंजीकरण के ज़रिए निगमित किया जाएगा, तथा ऐसे कोई नामांकन पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय भुगतान से पूर्व किसी पृष्ठांकन या वसीयत, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा रद्द किए या बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार निरस्तीकरण या परिवर्तन के लिए बीमाकर्ता को लिखित में सूचना न दी गई हो तो बीमाकर्ता पॉलिसी के अंतर्गत उसके द्वारा वास्तविक बनाए गए पॉलिसी की शब्द योजना में उल्लिखित या बीमाकर्ता के रिकॉर्ड्स में पंजीकृत नामांकित को किसी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(3) बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारक को नामांकन के पंजीकृत कराए जाने या उसके निरस्तीकरण या बदले जाने के बारे में लिखित पावती देगा तथा विनियमों द्वारा विनिर्धारित ऐसे निरस्तीकरण या परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क भी ले सकता है।

(4) धारा 38 के अनुक्रम में पॉलिसी में किसी अंतरण या समनुदेशन से नामांकन स्वतः रद्द हो जाएगा:

शर्त यह है कि बीमाकर्ता को पॉलिसी का समनुदेशन, जो कि समनुदेशन के समय पॉलिसी पर जोखिम का वहन करता हो, उस बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी

Provided that if any dispute as to priority of payment arises as between assignees, the dispute shall be referred to the Authority.

(7) Upon the receipt of the notice referred to in sub-section (5), the insurer shall record the fact of such transfer or assignment together with the date thereof and the name of the transferee or the assignee and shall, on the request of the person by whom the notice was given, or of the transferee or assignee, on payment of such fee as may be specified by the regulations, grant a written acknowledgement of the receipt of such notice; and any such acknowledgement shall be conclusive evidence against the insurer that he has duly received the notice to which such acknowledgment relates.

(8) Subject to the terms and conditions of the transfer or assignment, the insurer shall, from the date of the receipt of the notice referred to in sub-section (5), recognize the transferee or assignee named in the notice as the absolute transferee or assignee entitled to benefit under the policy, and such person shall be subject to all liabilities and equities to which the transferor or assignor was subject at the date of the transfer or assignment and may institute any proceedings in relation to the policy, obtain a loan under the policy or surrender the policy without obtaining the consent of the transferor or assignor or making him a party to such proceedings.

Explanation – Except where the endorsement referred to in sub-section (1) expressly indicates that the assignment or transfer is conditional in terms of subsection (10) hereunder, every assignment or transfer shall be deemed to be an absolute assignment or transfer and the assignee or transferee, as the case may be, shall be deemed to be the absolute assignee or transferee respectively.

(9) Any rights and remedies of an assignee or transferee of a policy of life insurance under an assignment or transfer effected prior to the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 shall not be affected by the provisions of this section.

(10) Notwithstanding any law or custom having the force of law to the contrary, an assignment in favour of a person made upon the condition that-

a. The proceeds under the policy shall become payable to the policyholder or the nominee or nominees in the event of either the assignee or transferee predeceasing the insured; or

b. The insured surviving the term of the policy, shall be valid:

Provided that a conditional assignee shall not be entitled to obtain a loan on the policy or surrender a policy.

(11) In the case of the partial assignment or transfer of a policy of insurance under sub-section (1), the liability of the insurer shall be limited to the amount secured by partial assignment or transfer and such policyholder shall not be entitled to further assign or transfer the residual amount payable under the same policy.

<u>Annexure 2</u>

<u>Nomination - As Section 39 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015</u>

(1) The (1) The holder of a policy of life insurance on his own life may, when effecting the policy or at any time before the policy matures for payment, nominate the person or persons to whom the money secured by the policy shall be paid in the event of his death:

Provided that, where any nominee is a minor, it shall be lawful for the policy holder to appoint any person in the manner laid down by the insurer, to receive the money secured by policy in the event of his death during the minority of the nominee.

(2) Any such nomination in order to be effectual shall, unless it is incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy communicated to the insurer and registered by him in the records relating to the policy and any such nomination may at any time before the policy matures for payment be cancelled or changed by an endorsement or a further endorsement or a will, as the case may be, but unless notice in writing of any such cancellation or change has been delivered to the insurer, the insurer shall not be liable for any payment under the policy made bona fide by him to a nominee mentioned in the text of the policy or registered in records of the insurer.

(3) The insurer shall furnish to the policy holder a written acknowledgement of having registered a nomination or a cancellation or change thereof, and may charge such fee as may be specified by regulations for registering such cancellation or change.

(4) A transfer or assignment of a policy made in accordance with section 38 shall automatically cancel a nomination:

की जमानत पर, उसके अभ्यर्पण मूल्य या पुन: समनुदेशन के अंतर्गत हो, ऋण स्वरूप की भरपाई करने पर नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन नामित के अधिकार केवल उस हद तक प्रभावित होंगे, जितना कि पॉलिसी में बीमाकर्ता का हित हो:

आगे शर्त यह है कि पॉलिसीधारक को अंतरिति या समनुदेशित द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए ऋण के प्रतिफल स्वरूप पॉलिसी का अंतरण या समनुदेशन, चाहे यह पूर्णत: हो या अंशत:, नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन नामांकित व्यक्ति के अधिकारों को उसी हद तक प्रभावित करेगा, जो कि पॉलिसी में अंतरिती या समनुदेशित का हित होगा:

शर्त यह भी है कि नामांकन जो कि अंतरण या समनुदेशन पर उसके परिणामस्वरूप अपने आप रद्द हुआ हो, वह नामांकन समनुदेशित द्वारा पुन: समनुदेशन या अंतरिती द्वारा ऋण के भुगतान पर सिवाय बीमाकर्ता को पॉलिसी की जमानत पर, पुन: अंतरण से स्वत: पुन: प्रचालित हो जाएगा।

(5) जहां पॉलिसी के भुगतान हेतु परिपक्वता उस व्यक्ति के जीवनकाल में होती है जिसके जीवन को बीमित किया गया है या अगर नामित व्यक्ति या एक से अधिक नामितों में से सभी पॉलिसी के भुगतान हेतु परिपक्व होने से पहले मर जाते हैं, वहां पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित राशि का भुगतान पॉलिसीधारक या उसके उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक को, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएगा।

(6) जहां एक या अधिक नामित हों तथा एक या एक से अधिक नामित, उस व्यक्ति के बाद जीवित रहते हैं, जिसके जीवन को बीमित किया गया है, तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित की गई राशि का भुगतान ऐसे उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को किया जाएगा।

(7) इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन, जहां बीमा पॉलिसी के धारक ने अपने जीवन पर अपने माता/पिता या अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों या अपने जीवन साथी और बच्चों या उनमें से किसी को नामित किया हो, ऐसे नामित उप-धारा (6) के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा देय राशि के लिए लाभार्थी होंगे, जब तक कि यह साबित नहीं होता कि पॉलिसी का धारक, पॉलिसी में उसके स्वामित्व की प्रकृति के अनुसार नामांकित को ऐसा लाभार्थी स्वामित्व प्रदान नहीं कर सकता है।

(8) उपरोक्त कहे गए के अधीन, जहां नामित या अगर एक से अधिक नामित हों, जिन पर उप-धारा (7) लागू होती है, पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि के भुगतान से पहले, लेकिन उस व्यक्ति जिसके जीवन के बीमित किया गया है, के बाद मर जाता है तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि या मरनेवाले नामित या नामितों जैसी भी स्थिति हो के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि का भुगतान नामित या नामितों के उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक, जैसी भी स्थिति हो, को किया जाएगा तथा वे ऐसी राशि को पाने के लिए अधिकृत लाभार्थी होंगे।

(9) उप-धाराओं (7) और (8) में कुछ भी जीवन बीमा की किसी पॉलिसी की आमदनियों से किसी उधारदाता के अधिकार को नष्ट या समाप्त नहीं करेगा।

(10) उप-धाराओं (7) और (8) के प्रावधान बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 के आरंभ होने के बाद भुगतान के लिए परिपक्व होने वाली जीवन बीमा की सभी पॉलिसियों पर लागू होंगे।

(11) जहां पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी के परिपक्व होने के बाद हुई हो, लेकिन पॉलिसी की आय और हितलाभ का भुगतान उसे उसकी मृत्यु के कारण न हुए हों, तो उसके द्वारा नामित उसकी पॉलिसी के अंतर्गत आमदनी और हितलाभ को पाने का पात्र होगा।

(12) इस धारा के प्रावधान जीवन बीमा की ऐसी किसी पॉलिसी पर लागू नहीं होंगे, जिस पर धारा 6, विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम 1874 लागू होता हो या कभी लागू किया गया हो।

शर्त यह है कि, जहां बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के आरंभ होने से पहले बीमित व्यक्ति के पत्नी या उसकी पत्नी तथा बच्चों या उनमें से किसी के पक्ष में अभिव्यक्त रूप से नामांकन किया गया हो, चाहे वह पॉलिसी पर अंकित हो या नहीं, जैसा कि इस धारा के अंतर्गत किया गया है, कथित धारा 6 पॉलिसी पर लागू नहीं मानी जाएगी या लागू नहीं होगी।

परिशिष्ट 3

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार

1. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी की तिथि से अर्थात पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुर्नचलन की तिथि से या पॉलिसी पर राइडर की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है।

2. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर किसी भी समय, जो भी बाद में हो, धोखेधड़ी के आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है।

Provided that the assignment of a policy to the insurer who bears the risk on the policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy within its surrender value, or its reassignment on repayment of the loan shall not cancel a nomination, but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the insurer's interest in the policy:

Provided further that the transfer or assignment of a policy, whether wholly or in part, in consideration of a loan advanced by the transferee or assignee to the policyholder, shall not cancel the nomination but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the interest of the transferee or assignee, as the case may be, in the policy:

Provided also that the nomination, which has been automatically cancelled consequent upon the transfer or assignment, the same nomination shall stand automatically revived when the policy is reassigned by the assignee or retransferred by the transferee in favour of the policyholder on repayment of loan other than on a security of policy to the insurer.

(5) Where the policy matures for payment during the lifetime of the person whose life is insured or where the nominee or, if there are more nominees than one, all the nominees die before the policy matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policyholder or his heirs or legal representatives or the holder of a succession certificate, as the case may be.

(6) Where the nominee or if there are more nominees than one, a nominee or nominees survive the person whose life is insured, the amount secured by the policy shall be payable to such survivor or survivors.

(7) Subject to the other provisions of this section, where the holder of a policy of insurance on his own life nominates his parents, or his spouse, or his children, or his spouse and children, or any of them, the nominee or nominees shall be beneficially entitled to the amount payable by the insurer to him or them under sub-section (6) unless it is proved that the holder of the policy, having regard to the nature of his title to the policy, could not have conferred any such beneficial title on the nominee.

(8) Subject as aforesaid, where the nominee, or if there are more nominees than one, a nominee or nominees, to whom sub-section (7) applies, die after the person whose life is insured but before the amount secured by the policy is paid, the amount secured by the policy, or so much of the amount secured by the policy as represents the share of the nominee or nominees so dying (as the case may be), shall be payable to the heirs or legal representatives of the nominee or nominees or the holder of a succession certificate, as the case may be, and they shall be beneficially entitled to such amount.

(9) Nothing in sub-sections (7) and (8) shall operate to destroy or impede the right of any creditor to be paid out of the proceeds of any policy of life insurance.

(10) The provisions of sub-sections (7) and (8) shall apply to all policies of life insurance maturing for payment after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.

(11) Where a policyholder dies after the maturity of the policy but the proceeds and benefit of his policy has not been made to him because of his death, in such a case, his nominee shall be entitled to the proceeds and benefit of his policy.

(12) The provisions of this section shall not apply to any policy of life insurance to which section 6 of the Married Women's Property Act, 1874, applies or has at any time applied;

Provided that where a nomination made whether before or after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, in favour of the wife of the person who has insured his life or of his wife and children or any of them is expressed, whether or not on the face of the policy, as being made under this section, the said section 6 shall be deemed not to apply or not to have applied to the policy.

Annexure 3

Section 45 as per the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

(1) No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e. from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.

(2) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later on the ground of fraud:

शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया है।

स्पष्टीकरण I: इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, "धोखेधड़ी" का अर्थ है बीमाधारक या उसके एजेन्ट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रभावित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई कार्य:

(अ) सुझाव, जो कि तथ्य रूप में सही नहीं है तथा जिसके सच होने पर बीमाधारक को विश्वास नहीं है;

(ब) बीमाधारक द्वारा किसी तथ्य को छिपाना, जो उसकी जानकारी में था या उसकी वास्तविकता पर उसे विश्वास था;

(स) धोखेधड़ी के इरादे से उठाया गया कोई अन्य कदम; तथा

(द) कोई अन्य ऐसा कदम या भूल–चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी मानता हो।

स्पष्टीकरण II: बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ़ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमाधारक या उसके एजेन्ट का यह कर्तव्य है। बोलने से चुप रहना या अन्यथा उसकी खामोशी अपने आप में बोलने के बराबर हो।

(3) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखेधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमाधारक/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था।

धोखेधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा की संविदा का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेन्ट माना जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जारी करने की तिथि से या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुर्नचलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य कागजात में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनःप्रचालित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था।

शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा को पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह फैसला लिया गया है।

आगे शर्त यह है कि महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखेधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा किए गए सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमाधारक को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

(5) इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी की सिर्फ़ इसलिए प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision is based.

Explanation I- For the purposes of this sub-section, the expression "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce the insurer to issue a life insurance policy:-

(a) the suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true;

(b) the active concealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the fact;

(c) any other act fitted to deceive; and

(d) any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

Explanation II- Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the insured or his agent, keeping silence to speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speak.

(3) Notwithstanding anything contained in subsection (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the misstatement of or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or that there was no deliberate intention to suppress the fact or that such misstatement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer:

Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.

Explanation – A person who solicits and negotiates a contract of insurance shall be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be the agent of the insurer.

(4) A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued:

Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:

Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on the ground of fraud the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days from the date of such repudiation.

Explanation - For the purposes of this sub-section, the misstatement of or suppression of fact shall not be considered material unless it has a direct bearing on the risk undertaken by the insurer, the onus is on the insurer to show that had the insurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.

(5) Nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.

परिशिष्ट 4

कुल अदा किए गए प्रीमियमों पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य घटक

पॉलिसी वर्ष ↓	पॉलिसी अवधि →										
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	65.00%	60.00%	57.50%	56.00%	55.00%	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%	52.73%	52.50%
9	80.00%	70.00%	65.00%	62.00%	60.00%	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%	55.45%	55.00%
10	80.00%	80.00%	72.50%	68.00%	65.00%	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%	58.18%	57.50%
11		80.00%	80.00%	74.00%	70.00%	67.14%	65.00%	63.33%	62.00%	60.91%	60.00%
12			80.00%	80.00%	75.00%	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%	63.64%	62.50%
13				80.00%	80.00%	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%	66.36%	65.00%
14					80.00%	80.00%	76.25%	73.33%	71.00%	69.09%	67.50%
15						80.00%	80.00%	76.67%	74.00%	71.82%	70.00%
16							80.00%	80.00%	77.00%	74.55%	72.50%
17								80.00%	80.00%	77.27%	75.00%
18									80.00%	80.00%	77.50%
19										80.00%	80.00%
20											80.00%

Annexure 4

Guaranteed Surrender Value factors applicable to total premiums paid

Policy Year ↓	Policy Term →										
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	65.00%	60.00%	57.50%	56.00%	55.00%	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%	52.73%	52.50%
9	80.00%	70.00%	65.00%	62.00%	60.00%	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%	55.45%	55.00%
10	80.00%	80.00%	72.50%	68.00%	65.00%	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%	58.18%	57.50%
11		80.00%	80.00%	74.00%	70.00%	67.14%	65.00%	63.33%	62.00%	60.91%	60.00%
12			80.00%	80.00%	75.00%	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%	63.64%	62.50%
13				80.00%	80.00%	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%	66.36%	65.00%
14					80.00%	80.00%	76.25%	73.33%	71.00%	69.09%	67.50%
15						80.00%	80.00%	76.67%	74.00%	71.82%	70.00%
16							80.00%	80.00%	77.00%	74.55%	72.50%
17								80.00%	80.00%	77.27%	75.00%
18									80.00%	80.00%	77.50%
19										80.00%	80.00%
20											80.00%

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

नोट: अगर आपकी कोई शिकायत/समस्या, हो तो आप शिकायत समाधान अधिकारी/लोकपाल से सम्पर्क पर सकते हैं, जिनका पता नीचे दिया गया है:
NOTE: In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/ Ombudsman, whose address is as under:

शाखा कार्यालय का पता: / Address of Branch Office:

शिकायत समाधान अधिकारी का पता:
Address of Grievance Redressal Officer:

बीमा लोकपाल का पता:
Address of Insurance Ombudsman:

नोट: इन नियमों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों/शर्तों की व्याख्या में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
Note: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जांच कर लें तथा इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे सुधार के लिए तुरन्त हमें लौटाएं

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

आई आर डी ए आई पंजीकरण संख्या : 512
IRDAI Regn. No.: 512